जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह

अध्याय – 1

प्रस्तावना

1.1 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 – महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 16 जून 2005 को सूचना के अधिकार अधिनियम मोहरलगाकर पारित किया गया जिससे सूचना का अधिकार कानूनी दर्जा प्राप्त हो गया ।

1.2 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य जन सामान्य के विभाग से संबंधित सभी योजनाए प्रकियाओ का निराकरण ।

1.3 आधार भूत विकास कार्य– औद्योगिक संस्थानों/प्रक्षेत्र में किसी भी उद्योगिक इकाईके पूर्ण विकासहेतु आधारभूत सुविधाए सड़क पानी बिजली आदि की व्यवस्था करना ।

शिक्षित बेरोजगारों हेतु शासन की विभिन्न स्वरेागार योजनाए है,

1.4 विभागीय नियम प्रकिया अनुदान योजनाओ वेतन भत्ता बजट आवंटन की जानकारी साहित है,जानकारी के लियेसहायक लोक सूचना अधिकारी श्री बी.एल. अहिरवार सहा. प्रबंधक अधिकृत है ।

1.5 विभाग के अभिलेख प्राप्त करने के लिये सामान्य प्रकिया कार्यालय समय मे निर्धारित शासन द्वारा प्रस्तावितआवेदन शुल्क 10रूपये का नान जुडिशियल स्टाम्प अथवा कार्यालय मे 10 रूपया नगद जमा किये जाने काप्रावधान है एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियो को इस शुल्क से छुट की पात्रता होगी।

अध्याय – 2 (मैनुअल – 1)

संगठन की विशिष्टयां,कृत्य एवं कर्तव्य

2.1 नवीन औद्योगिक इकाईयो कि स्थापना उद्यमियों को स्वरोजगार स्थापित कराना ।

2.2 जिला उद्योग केन्द्र में महाप्रबंधक, प्रबंधक, एवं सहायक प्रबंधक स्तर के अधिकारी कार्यालय में पदस्थ रहते है। इसके गठन का प्रसंग – औद्योगिक इकाई के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य के विभिन्न अनुदान देना तथा युवाओ को विभिन्न स्वरेाजगार का लाभ देना।

2.3 नव उद्यमियों/शिक्षित बेरोजगारो युवाओ को नवीन उद्योग कि जानकारी देना, ऋण प्रकरण तैयार करना तथा प्रशिक्षण देना ।

2.4 नवीन उद्योंगो के प्रस्तावित इकाईयों हेतु स्वघोषणा पत्र एवं कार्यरत इकाईयों हेतु आधार पंजीयन करना तथा विभिन्न प्रकार के अनुदान उपलब्ध कराना शिक्षित बेरोजगारो को स्वरोजगार उपलब्ध कराना ।

2.6 लद्यु उद्योगो का आधार पंजीयन करना , दुर्लभ कच्चा माल उपलब्ध कराना उनके उत्पाद के विपणन हेतुमेला ,प्रदर्शिनी , पुरूस्कार के लिये प्रस्तुत करना ।शिक्षित बेरोजगारो को विभिन्न योजनाओ में स्वरेाजगार स्थापित कराना ।

2.7 म0प्र0 शासन, सूक्ष्म लद्यु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भोपाल

उद्योग संचालनालय भोपाल

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह

महाप्रबंधक

प्रबंधक सहायक प्रबंधक स्टेनो ग्राफर

लेखापाल

सहायक ग्रेड–2 एवं 3

भृत्य एवं चौकीदार

2.8 जन सहयोग से कोई कार्य नही किया (लागू नही है)

2.9 जन सहयोग से कोई कार्य नही किया (लागू नही है)

2.10 जनता से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र/शिकायत का यथा संभव शीघ्र निराकण किया जाता है ं

2.11 प्रमुख सचिव सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल उद्योग आयुक्त वाणिज्य एवंउद्योग रोजगार संचालनालय विन्धयाचल भवन भोपाल।

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह

महाप्रबंधक प्रबंधक सहायक प्रबंधक

2.12 कार्यालय खुलने का समय प्रातः 10.30 बजेकार्यालय बंद का समय सांय 5.30 बजे तक

अध्याय – 3

3.1 अधिकारी कर्मचारियो कि शक्तियो एवं कर्तव्य का विवरण ।

क्रं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद नाम	शक्तियां		कर्तव्य
.			प्रशासकीय	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सुनील कुमार पांडे	महाप्रबंधक	अधिनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर नियंत्रण, कार्यालीयन कार्यो का संचालन	वेतन, अवकाश, लेखा, भूमि आबंटन,	विभिन्न कार्यो एवं योजना का कियान्वयन
2	श्री अवधेश कुमार चौरसिया	प्रबंधक	सम्पूर्ण जिले में स्वरोजगार योजना का कियान्वयन, उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु प्रेरित करना ।	—	विभिन्न इकाईयों का निरीक्षण, स्वरोजगार योजनाओं का प्रचार प्रसार करना एवं प्रकरण तैयार कराना
3	श्री बाबूलाल अहिरवार	सहायक प्रबंधक	आबंटित क्षेत्र तहसील दमोह, पथरिया, तेंदूखेडा में स्वरोजगार योजना का कियान्वयन, बैंकों से संपर्क कर प्रकरणेां के स्वीकृत/ वितरण की कार्यवाही कराना ।	—	विभिन्न इकाईयों का निरीक्षण, स्वरोजगार योजनाओं का प्रचार प्रसार करना एवं प्रकरण तैयार कराना
4	श्री रियाज मो0 खान	सहायक प्रबंधक	आबंटित क्षेत्र तहसील हटा, जबेरा, पटेरा, बटियागढ में स्वरोजगार योजना का कियान्वयन, बैंकों से संपर्क कर प्रकरणेां के स्वीकृत/ वितरण की कार्यवाही कराना ।	—	विभिन्न इकाईयों का निरीक्षण, स्वरोजगार योजनाओं का प्रचार प्रसार करना एवं प्रकरण तैयार कराना
5	श्री संतोष कुमार खरे	लेखापाल	—	—	बजट आडिट, लेखा कार्य, विधानसभा, लोकसभा एवं स्थापना कक्ष ।
6	श्री श्याम सुंदर अहिरवाल	सहायक वर्ग —1	—	—	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, सी एम हेल्प लाईन ।
7	श्री गोविंद प्रसाद नेमा	सहायक वर्ग—2	—	—	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यकम, जन शिकायत,
8	श्री रामदास रोहित	सहायक वर्ग—2	—	—	वित्तीय सहायता कक्ष, समन्वय कक्ष, सामान्य कक्ष एवं स्टोर ।

9.	श्री दिनेश तिवारी	स्टेनो टायपिस्ट	–	–	अधोसरंचना विकास कक्ष, विधि कक्ष
10	ध्रुव कुमार अहिरवाल	सहायक वर्ग–3	–	–	आवक जावक कक्ष
11	श्रीमति मोनिका मुंडा	सहायक वर्ग–3	–	–	एम एस एम ई, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना कक्ष में संबद्य ।
12	श्री रामचंद अहिरवाल	भृत्य	–	–	भृत्य
13	श्रीमति लक्ष्मी देवी राजपूत	भृत्य	–	–	भृत्य
14	श्री राजेश यादव	भृत्य	–	–	भृत्य एवं वाहन चालन

अध्याय – 5

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन–प्रतिनिधी से परामर्श के लिये बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

नीति निर्धारण हेतु

5.1 लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में

क0सं0	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय मेंजनता की भागी दारी अनिवार्यहै (हां/नहीं)	जनता की भागीदारीसुनिश्चित करने केलिये की गई व्यवस्था
	राज्य की औद्योगिक नीति	हां	विधान सभा द्वारा निर्धारितसमितिया एवं विधान मंडल

5.2 लोक प्राधिकरण द्वारा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि से परामर्श/भागीदारी के प्रावधान ।

क0सं0	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय मेंजनता की भागी दारी अनिवार्यहै (हां/नहीं)	जनता की भागीदारीसुनिश्चित करने केलिये की गई व्यवस्था
	राज्य शासन द्वारा नवीन औद्यौगिकईकाइयो को विभिन्नअनुदान/सुविधाए देने हेतु	नही	जिला स्तरीय निवेश संबर्द्धनसाधिकारसमिती में दो सदस्य राज्य शासनद्वारा नियुक्त किये जाते है।

अध्याय – 6

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजो का प्रवर्गो केअनुसार विवरण

6.1 लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेज की जानकारी

कंसंप्रवर्ग दस्तावेज का नाम एवंएक पंक्ति में परिचयदस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रकियाधारक/नियंत्रणाधी

कं0	प्रवर्ग	दस्तावेजों का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रकिया	धारक/नियंत्रणाधीन
1	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	ऋण प्रकरण आवक प्रेषित स्वीकृत एवं वितरण पंजी	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह
2	मुख्यमंत्री स्वरोजगारयोजना	ऋण प्रकरण आवक प्रेषितस्वीकृत एवं वितरण, मार्जिनमनी पंजीयन	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह
3	मुख्यमंत्री उद्यमी योजना	ऋण प्रकरण आवक प्रेषितस्वीकृत एवं वितरण, मार्जिनमनी पंजीयन	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह
4	अधोसंरचना विकासकक्ष	भूमि/शेड/आवेदन आवंटनपंजी किराया पंजी एवं नस्तिया	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह
5	वित्तीय सहायता कक्ष	अनुदान संबंधी नस्तियां एवं पंजी	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह
6	स्थापना कक्ष	उपस्थिती पंजी सेवा पुस्तिकायें व्यक्तिगत अभिलेख	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह
7	लेखा कक्ष	लेखा संबंधी पंजीयां	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह
8	निज/सर्तकता कक्ष	गोपनीय चरित्रावली एवंगोपनीय कार्य (अधिकारीकर्मचारी से संबंधित)	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह
9	लधु उद्योग कक्ष वृहद मध्यम कक्ष	अस्थाई एवं आधार पंजीयन पंजी	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह
10	आवक जावक कक्ष	आवक जावक पंजी	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह
11	सामान्य कक्ष	स्टेशनरी डेड स्टाक पंजी एंव स्टाक पंजी	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह
12	समन्वय कक्ष	मुख्यालय तथा अन्य कार्यालयों को प्रेषित जानकारियों की नस्तियां	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह

अध्याय – 7(मेनुअल 6)

बोर्ड परिषदो समितियों एवं अन्य निकायो का विवरण

7.1 लोक प्राधिकरण से संबंध बोर्ड परिषदो एवं अन्य निकायो का विवरण

1. समिति

(अ) टास्क फोर्स समिति प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यकम । जिला स्तर

1. अध्यक्ष :– कलेक्टर
2. सदस्यः– जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक
3. सदस्यः– राष्टीयकृत बैंकों के प्रतिनिधि
4. सदस्यः– प्रबधक, खादी एव ग्रामोद्योग बोर्ड दमोह
5. सदस्यः– प्रतिनिधि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग भोपाल
6. सदस्यः– प्रतिनिधि पोलिटेकनिक कालेज दमोह
7. सदस्यः– प्रतिनिधि आई टी आई दमोह
8. सदस्यः– प्रतिनिधि एम एस आई सी इंदौर
9. सदस्यः–नेहरू युवा केन्द्र/अ.जा.ज.निगम

10 सदस्य/सचिवः:– महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह

उद्देश्य :–शिक्षित बेरोजगारो को उद्योग, सेवा स्वरोजगार स्थापना को प्रोत्साहन देने हेतु बैको के माध्यम से लक्ष्यनिश्चित कर ऋण उपलब्ध कराना एवं मार्जिन मनी की सहायता अनुदान के रूप मे देना ।

2.समिति

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का प्रारंभ 01 अगस्त 2014

(ब)–मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना टास्क फोर्स समिति

1. अध्यक्षः–महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,दमोह
2. सदस्यः– जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक/प्रतिनिधि
3. सदस्यः–कोई एक प्रमुख राष्टीयकृत बैंकों के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि
4. सदस्यः–सूक्ष्म,लघु,मध्यम उद्यम संस्थान,इन्दौर का प्रतिनिधि
5. सदस्यः–परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण/प्रतिनिधि
6. सदस्यः– प्रतिनिधि पोलिटेकनिक कालेज दमोह
7. सदस्यः– प्रतिनिधि आई टी आई दमोह
8. सदस्यः–संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक/प्रतिनिधि

9 सदस्य :–प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,दमोह

उद्देश्य :–योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गो के लिये स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/सेवा/व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है । योजनान्तर्गत हितग्राहियों को मार्जिनमनी सहायता,ब्याज अनुदान,ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जावेगा ।

योजना का कियान्वयन :–स्वरोजगार योजनाएं संचालित किये जाने वाले समस्त विभागों द्वारा इस योजना का संचालन अपने–अपने विभागीय अमले एवं बजट से किया जायेगा । 1 अगस्त 2014 के पूर्व यह समस्त विभाग अपने–अपने लक्ष्य का निर्धारण करेंगे । स्वरोजगार योजना के समन्वय एवं कियान्वयन संबंधी आंकड़े एकत्र करने हेतु वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग नोडल विभाग होगा ।

पात्रता :–1. आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो ।

2.. न्यूनतम 5 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो (स्वप्रमाणीकरण के आधार पर)

3. आवेदन दिनांक को आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो ।

4. किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता/अशोधी(Defaulter)नही होना चाहिए।

5. यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर

रहा हो,तो इस योजना के अर्न्तगत पात्र नहीं होगा ।

6. सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा ।

7. योजना उद्योग/सेवा/व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी ।

वित्तीय सहायता :– इस योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रूपये 20 हजार से अधिकतम रूपये 10 लाख तक होगी । इस योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत पर मार्जिनमनी सहायता
अ–सामान्य वर्ग हेतु 15 प्रतिशत (अधिकतम एक लाख रूपये)
ब–बी.पी.एल./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/महिला/अल्पसंख्यक/निःशक्त जन हेतु– 30 प्रतिशत (अधिकतम एक लाख रूपये) इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत की दर से (अधिकतम रूपये 25 हजार प्रतिवर्ष) ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षो तक देय होगा ।इस योजना के अंतर्गत गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगी।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का प्रारंभ 01 अगस्त 2014

(स) –मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना टास्क फोर्स समिति

1. अध्यक्षः–कलेक्टर,दमोह
2. सदस्यः– मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत,दमोह
3. सदस्यः– जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक
3. सदस्यः– कोई एक प्रमुख राष्टीयकृत बैंकों के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि
4. सदस्यः– सूक्ष्म,लघु,मध्यम उद्यम संस्थान,इन्दौर का प्रतिनिधि
5. सदस्यः– परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण,दमोह
6. सदस्यः– प्रतिनिधि पोलिटेकनिक कालेज दमोह
7. सदस्यः– प्रतिनिधि आई टी आई दमोह
8. सदस्यः– संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक/प्रतिनिधि
9 सदस्य :–महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,दमोह

उद्देश्य :–योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गो के लिये स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/सेवा उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है । योजनान्तर्गत हितग्राहियों को मार्जिनमनी सहायता,ब्याज अनुदान,ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जावेगा ।

योजना का कियान्वयन :–योजना के कियान्वयन हेतु वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग नोडल विभाग होगा तथा महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से योजना को कियान्वित किया जावेगा ।

पात्रता :–1. योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्ही उद्यमों को देय होगाजो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हो ।

2. न्यूनतम10 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो

3. आवेदन दिनांक को आयु 18 से 40वर्ष के मध्य हो ।

4. किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक कचूककर्ता/अशोधी(Defaulter) नहींहोना चाहिए।

5. यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो,तो इस योजना के अर्न्तगत पात्र नहीं होगा ।

6. सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा ।

7. योजना उद्योग/सेवा क्षेत्र के लिए ही होगी । व्यापारिक गतिविधियों को पात्रता नहीं होगी ।

वित्तीय सहायता :– इस योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रूपये 10 लाख से अधिकतम रूपयेएक करोड़ होगी ।

इस योजना के अन्तर्गत परियोजना पूंजीगत लागत पर मार्जिनमनी सहायता 15 प्रतिशत(अधिकतम 12 लाख रूपये)देय होगी

इस योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजीगत लागत पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षो तक देय होगा इस योजना के अंतर्गत गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर

अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगी

सूचना के अधिकार के तहत ।
समिति– 5

1. संबद्ध संस्था का नाम एवं पता :– पुरूस्कार योजना चयन समिति जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह
2. संबद्ध संस्था का प्रकार – समिति
3. संबद्ध संस्था का परिचय –

स्थापना वर्ष :– 2004

उद्देश्य :–1. रोजगार स्थापना में अभिनव प्रयोग कर सफलता पूर्वक स्वरोजगार स्थापित करना ।
2. बेरोजगार युवको में विभिन्न स्वरोजगार को लोकप्रिय बनाते हुये उनहे स्वंय का उद्यम लगाने हेतु आत्मबल प्रदान करना
3. स्वतः रोजगार योजना अन्तर्गत ऋण गृहिताओ को उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु अभिप्रेरित करना एवं जागृति लातेहुऐ बैंक ऋण की समय पर अदायगी सुनिश्चित करना 4. स्वरोजगार स्थापना में एवं संचालन में उत्कृष्ट उद्यमिता प्रदर्शित करना ।

मुख्य कृत– विभिन्न योजनाओ में लाभान्वित हितग्राहीयो द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर पुरस्कार से सम्मानितकरना ।

4. संबद्ध संस्था की भूमिका :– कार्य कारिणी ।
5. स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य :– जिलास्तरीय चयन समिति सदस्य ।

अध्यक्षः– कलेक्टर
उपाध्यक्ष :– संयुक्त संचालक उद्योग
सदस्य सचिव :– महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रदमोह
सदस्य :– प्रबंधक जिला अग्रणी बैंक
जिला रोजगार अधिकारी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

6. मुख्य अधिकारी का नाम :–श्री सुनीलकुमार पाण्डेय महा प्रबंधक जि0 व्या0 एवं उ0 केन्द्र दमोह
7. मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओ के पते :– महा प्रबंधक जि0 व्या0 एवं उ0 केन्द्र दमोह

8. क्या जनता बैठक का कार्य वृत्त प्राप्त कर सकती करना लोक सूचना अधिकारियो के नाम,पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

8.1 लोक प्राधिकरण में लोक सूचना अधिकरी सहायक लोक सूचना तथा विभागीय अपिलेट अधिकारी के संबंध।

सहायक लोक सूचना अधिकारी :

क्रं सं	नाम	पदनाम	एस.टी. डीकोड	दूरभाष		फैक्स	ई.मेल / मोबा	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री बी.एल. अहिरवार	सहायक प्रबंधक	07812	222714		07812–225626	9893318373	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दमोह

लोक सूचना अधिकारी :–

क्रं सं	नाम	पदनाम	एस.टी. डीकोड	दूरभाष		फैक्स	ई.मेल / मोबा	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री ए0के0 चौरसिया	प्रबंधक	07812	222714		07812–225626	9425838445	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दमोह

अपीलीय अधिकारीः–

क्रं सं	नाम	पदनाम	एस.टी. डीकोड	दूरभाष		फैक्स	ई.मेल / मोबा	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री एस0के0 पाण्डेय	महा प्रबंधक	07812	222714		07812–225626	9407300047	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दमोह

अध्याय – 9(मनुअल 8)

निर्णय लेने की प्रकिया

8.1 विभागीय नियम / निर्देश / प्रकिया के अनुसार निर्णय लिये जाते है।

8.2 प्रत्येक विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए अलग–अलग नियम प्रकिया निर्धारित है।

1. विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के मापदण्डो को पूरा करने पर पात्रता एवं बैकलक्ष्य अनुसार निर्णय लिया जाता है।

2. विभागीय सुविधा – अनुदान भूमि आवंटन नियम निर्धारित नियम एवं प्रकिय अनुसार निर्णय लिये जाते है।

8.3 1. समाचार पत्र के माध्यम से

2. व्यक्तिगत पत्र के माध्यम से

3. सूचना पटल के माध्यम से

4. विभिन्न बैठको में जानकारी के माध्यम से

8.4 1. विभिन्न स्वरोजगार योजनाओ में टास्कफोर्स समिति के सदस्यो की अनुसंशा।

8.5 जिला स्तरीय प्रकरणो के लिये महाप्रंबधक / कलेक्टर तथा शेष के लिये उद्योग आयुक्त तथा राज्य शासन ।

क्रं0	पंजीयन	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	मुख्यमंत्री उद्यमी योजना	सुविधायें अनुदान	भूमि आबंटन
विषय	आधार पंजीयन	स्वरोजगार हेतु ऋण अनुदान	स्वरोजगार हेतु ऋण अनुदान	स्वरोजगार हेतु ऋण अनुदान	राज्य लागत पूंजी अनुदान एवं अन्य सुविधा	भूमि शेड आबंटन
दिशा निर्देश	शासन के आदेश / िनर्देशानुसार	शासन के आदेश / निर्देशानुसार	शासन के आदेश / निर्देशानुसार	शासन के आदेश / निर्देशानुसार	शासन के आदेश / निर्देशानुसार	भूमि शेड आबटंन म0 प्रदेश राज्य औद्यो0 भूमि एवं औंद्यो0भवन प्रबंधन नियम 2015
निर्णय लेने की प्रकिया	–	टास्कफोर्स समिति से अनुमोदन पश्चात	टास्कफोर्स समिति से अनुमोदन पश्चात	टास्कफोर्स समिति से अनुमोदन पश्चात	टास्कफोर्स समिति से अनुमोदन पश्चात	निर्धारित नियम अनुसार ।
निर्णय लेने के लिये शामिल अधिकारी के पद नाम	महाप्रबंधक जि0व्या0 उ0के0 दमोह	महाप्रबंधक जि0व्या0उ0के0 दमोह	महाप्रबंधक जि0व्या0उ0के0 दमोह	महाप्रबंधक जि0व्या0उ0के0 दमोह	कलेक्टर	महाप्रबंधक जि0व्या0उ0के0 दमोह
निर्णय लेने के लिये कहां और कैसे अपील केरं	–	कलेक्टर	महाप्रबंधक जि0व्या0उ0के0 दमोह	कलेक्टर	–	उद्योग आयुक्त उद्योग संचालनालय म0प्र0 भोपाल

अध्याय – 10 (मेनुअल 9)

अधिकारियों और कर्मचारियो की निर्देशिका

8.6 अधिकारी कर्मचारियो की जानकारी

क्रं0	अधिकारी कर्मचारी का नाम	पद नाम	एस0टी 0डी0	दूरभाष क्रं0	आवास	फैक्स	ई/मेल मो0	पता
1.	श्री सुनील कुमार पांडे	महाप्रबंधक	07812	222714	222356	07812–225626	9407300047	विजयनगर दमोह
2	श्री अवधेश कुमार चौरसिया	प्रबंधक	–	–	–	–	9425139341	जबलपुर नाका दमोह
3	श्री रियाज मो0 खान	सहायक प्रबंधक	–	–	–	–	9993363863	शनिचरी टौरी सागर
4	श्री बाबूलाल अहिरवार	सहायक प्रबंधक	–	–	–	–	9893318374	एमआईजी2 149दीनदयाल नगर मकरोनिया सागर
5	श्री संतोष कुमार खरे	लेखापाल	–	–	–	–	9826389663	जबलपुर नाका दमोह
6	श्री श्यामसुंदर अहिरवाल	सहा0वर्ग–1	–	–	–	–	9993965515	बजरिया वार्ड बडापुरा दमोह
7	श्री गोविन्द प्रसाद नेमा	सहा0वर्ग–2	–	–	–	–	9039143980	असाटीवार्ड1 दमोह
8	श्री रामदास रोहित	सहा0वर्ग–2	–	–	–	–	–	बजरिया वार्ड बडापुरा दमोह
9	श्री दिनेश तिवारी	स्टेनो–टायपिस्ट	–	–	–	–	9926747790	विवेकानंद नगर दमोह
10	श्री धुव कुमार अहिरवाल	सहा0वर्ग 3	–	–	–	–	9826815036	नया बाजार 4 दमोह
11	श्रीमति मोनिका मुंडा	सहा0वर्ग 3	–	–	–	–	8349834860	गढी मुह0 दमोह
12	श्री रामचंद अहिरवाल	भृत्य	–	–	–	–	–	नया बाजार 3 दमोह
13	श्रीमति लक्ष्मी देवी राजपूत	भृत्य	–	–	–	–	–	जटाशंकर कालोनी दमोह
14	श्री राजेश यादव	भृत्य	–	–	–	–	9981942878	सिविल वार्ड 7 दमोह

अध्याय – 11 (मेनुअल 10)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्वति

क्रं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मसिक परिश्रमिक	परितोषित/परितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्यति जो नियमावली में दी गई है
1.	श्री सुनील कुमार पांडे	महाप्रबंधक	62020 एवं डी ए	–	–
2	श्री अवधेश कुमार चौरसिया	प्रबंधक	34740एवं डी ए	–	–
3	श्री रियाज मो0 खान	स्हा0प्रबंधक	26040 एवं डी ए		
4	श्री बाबूलाल अहिरवार	स्हा0प्रबंधक	22270 एवं डी ए	–	–
5	श्री संतोष कुमार खरे	लेखापाल	13910 एवं डी ए		
6	श्री श्यामसुंदर अहिरवाल	स्हा0वर्ग–1	16640 एवं डी ए	–	–
7	श्री जी0पी0 नेमा	सहा0वर्ग–2	16670एवं डी ए		
8	श्री रामदास रोहित	सहा0वर्ग–2	14500 एवं डी ए	–	–
9	श्री दिनेश तिवारी	स्टेनो टायपिस्ट	15870एवं डी ए		
10	श्री ध्रुव कुमार अहिरवाल	स्हा0वर्ग 3	9620 एवं डी ए	–	–
11	श्रीमति मोनिका मुंडा	सहा0वर्ग 3	7770 एवं डी ए	–	–
12	श्री रामचंद अहिरवाल	भृत्य	10970 एवं डी ए	–	–
13	श्रीमति लक्ष्मी देवी राजपूत	भृत्य	9800एवं डी ए	–	–
14	श्री राजेश यादव	भृत्य	9690 एवं डी ए	–	–

अध्याय – 12 (मेनुअल 11)

प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट(सभी योजनाओ,व्यय व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना) वर्ष 2016–17अन्य लोक प्राधिकरणो के लिये :–

क्रं0	मद	स्वीकृत बजट	शासन व्दारा प्रस्तुत किश्तेां में	कुल व्यय
1.	11–ग्रामीण उद्यमी विकास योजना प्रशिक्षण	1,20,000	1,20,000	1,20,000
2	7432–अर्न्तरा0 एवं राज्य स्तरीय प्रचार प्रसार	12,000	12,000	12000
3	2124–एमएसएमई प्रोत्साहन योजना ब्याज अनुदान	8,33,938	8,33,938	8,33,938
4	7891–एमएमएसवाई सेमीनार	2,63,000	2,63,000	2,62,845

वेतन एवं भत्तों में प्राप्त आबंटन

क्रं0	मद	स्वीकृत बजट	शासन व्दारा प्रदत्त किश्तों मे	कुल व्यय
1.	11–001 वेतन	26,29,025	26,29,025	26,29,025
2	11–003 मंहगाई भत्ता	39,11,84	39,11,084	39,11,084
3	11–006 मकान किराया	1,46,870	1,46,870	1,46,870
4	11–028 ग्रेड वेतन	5,02,200	5,02,200	5,02,200
5	11–009 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	25,000	25,000	21,7907
6	11–011त्यौहार अग्रिम	–	–	–
7	11–016 अनाज अग्रिम	–	–	–
8	12–000 मजदूरी	8,000	8,000	8,000
9	21–001 यात्रा भत्ता	–	–	–
10	22–001 डाकतार	9,000	9,000	9,000
11	22–002 दूरभाष	23,558	23,558	23,558
12	22–003 फर्नीचर कार्या0 उपकरण	2,000	2,000	–
13	22–004 पुस्तकें	1,500	1,500	–
14	22–005–बिजली	22,808	22,808	22,808
15	22–006 वर्दी	3,000	3,000	1,000
16	22–007 लेखन सामग्री	25,000	25,000	18,077
17	22–009 पेट्रोल	40,000	40,000	39,998
18	22–010 अतिरिक्त व्यय	–	–	–
19	31–007 परिवहन	–	–	–
20	33–002 मशीन उपकरण	1,500	1,500	–
21	33–003 वाहन अनुरक्षण	5,000	5,000	5,000
22	33–004 विद्युत प्रभार	–	–	–

अध्याय–13 मैनुअल
मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014

1. प्रस्तावना :–

राज्य शासन व्दारा उद्योग संबर्द्धन नीति, 2014 दिनांक 1 अक्टूबर 2014 से लागू की गई है । उक्त नीति में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों हेतु प्रावधान किये गये हैं । राज्य शासन सूक्ष्म लघु एवंमध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों को उद्योग संर्म्द्धन नीति 2014 में उल्लेखित सुविधायें प्रदान करने की दृष्टि से मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014 लागू करता है ।

2. योजना के प्रभावशील होने की अवधी एवं कार्यक्षेत्र

2.1 यह योजना दिनांक 01.10.2014 से प्रभावशील होगी और शासन व्दारा संशोधित या अधिक्रमित किये जाने तक संपूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावी रहेगी ।

2.2 ऐसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यम जिनके लिये उद्योग संबर्द्धन नीति 2010 या पूर्व नीतियों के तहत प्रोत्साहन का कोई पैकेज पहले स्वीकृत किया गया है, या जिसका वाणिज्यक उत्पादन

दिनांक01.10.2014 के पूर्व का है, उन्हें इस योजना का लाभ उठाने की पात्रता नहीं होगी, लेकिन उन्हें उद्योग सबर्द्धन नीति 2010 या पूर्व नीतियों के तहत जैसी भी स्थिति हो , सुविधाओं हेतु पात्रता होगी ं

2.3 दिनांक 1.10.2014 को या इसके पश्चात किंतु उद्योग संबर्द्धन नीति 2010 की समापन तिथी से एक वर्ष के अंदर अर्थात दिनांक 31.10.2016 तक वाणिज्यक उत्पादन प्रारंभ करने वाली सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों को उद्योग संबर्द्धन नीति 2014 या उद्योग संबर्द्धन नीति 2010 के तहत प्रोत्साहनों का पैकेज चुनने की पात्रता होगी तथापि एक बार विकल्प चुनने के बाद इसे बदला नहीं जा सकेगा । परंतु दिनांक 01.10.2014 को या इसके पश्चात वाणिज्यक उत्पादन प्रारंभ करने वाली टेक्सटाईल इकाईयों को वैट एवं सीएसटी प्रतिपूर्ति की सुविधा का लाभ लेने हेतु प्रोत्साहनों का पैकेज चुनने की स्वतत्रंता नहीं होगी । उन्हें केवल उद्योग संबर्द्धन नीति 2014 के तहत सहायता/सुविधायें पाने की पात्रता होगी ।

2.4 पूर्व प्रचलित उद्योग सबंर्द्धन नीति (यों) एवं टेक्सटाईल उद्योगेां के लिये विशेष पैकेज अंतर्गत सुविधा/सहायता का लाभ प्राप्त करने हेतु गठित विभिन्न समितियों को समाप्त करते हुए पूर्व की नीति (यों) एवं उक्त विशेष पैकेज अंतर्गत प्राप्त/स्वीकृत प्रकरणों का निराकरण मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014 में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा ।

3. परिभाषायें :–

3.1. विभाग से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन का वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

3.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यम/औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य की सीमा में स्थापित ऐसी औद्योगिक इकाई जिसकी स्थापना हेतु राज्य शासन से सूक्ष्म, लघु उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत विनिर्माण (manufacturing) उद्यम हेतु ई.एम. पार्ट–2 जमा कर अभिस्वीकृति पत्र प्राप्त किया गया हो एवं

.	इकाई का प्रकार	विवरण
	सूक्ष्म स्तर की औद्योगिक इकाई	संयत्र एवं मशीनरी में 25 लाख रूप्ये से कम का निवेश करने वाले विनिर्माण उद्यम
	ल लघु स्तर की औद्योगिक इकाई	संयत्र एवं मशीनरी में 25 लाख रूप्ये और 5 करोड रूप्ये के बीच का निवेश करने वाले विनिर्माण उद्यम ।
	मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाई	संयंत्र एवं मशीनरी मे 5 करोड रूप्ये और 10 करोड रूप्ये के बीच निवेश करने वाले विनिर्माण उद्यम

3.3 (अ) नई औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत है, ऐसी इकाई जो मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जिले में
3.4 स्थापित हो एवं जिसमें दिनांक 01.10.2014 को अथवा उसके पश्चात वाणिज्यक उत्पादन प्रारंभ हुआ हो

(ब) विद्यमान औद्योगिक इकाई से आशय ऐसी इकाई से है, आशय है जिसमें दिनांक 1.10.2014 के पूर्व वाणिज्यक उत्पाद प्रारंभ हुआ हो या ऐसी नई औद्योगिक इकाई जिसके व्दारा इस योजना के शासन व्दारा संशोधित या अधिक्रमित किये जाने तक विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन किया गया हो ।

3.5 नई/विद्यमान औद्योगिक इकाई व्दारा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन से तात्पर्य होगा, इकाई व्दारा पूर्व में संयत्र एवं मशीनरी में किये गये पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत , जो रू0 25.00 लाख से कम नहीं हो, का पूंजी निवेश पर किया गया विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन परंतु इस प्रकार किये गये विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन से इकाई व्दारा अपनी पूर्व स्थापित क्षमता से अतिरिक्त क्षमता का वाणिज्यक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया हो ।

3.6 पूर्व मे किये गये संयत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश से तात्पर्य औद्योगिक इकाई व्दारा, जिस वर्ष में विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन, के लिये नवीन पूंजी निवेश करना प्रारंभ किया गया हो, उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि स्थिति में किया गया संयत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश अथवा औद्योगिक इकाई में मूल वाणिज्यक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि की स्थिती में किया गया संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश जो भी अधिक हो, से होगा ।

3.7 पूर्व में स्थापित क्षमता से तात्पय औद्योगिक इकाई व्दारा, जिस वर्ष में विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन नवीन पूंजी निवेश करना प्रारंभ किया गया हो, उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षो के वार्षिक उत्पादन का औसत या इकाई की मूल वाणिज्यक उत्पादन दिनांक से समय स्थापित क्षमता, इसमें जो भी अधिक हो, से है ।

3.8 स्थायी पूंजी निवेश से अभिप्रेत है संयंत्र एवं मशीनरी में किया गया पूंजी निवेश ।

3.9 संयत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश से तात्पय इकाई के संयंत्र एवं मशीनरी भवन और शेड में किया गया निवेश, किंतु इसमें भूमि और रिहायसी इकाईयां (Dwellinhg Units) शामिल नहीं होगी ।

3.10 मूल्य संवर्धन पर (VAT) से तात्पर्य मध्यप्रदेश मूल्य संबर्धन कर अधिनियम, 2002 के सेक्सन 2 अंतर्गत परिभाषित मूल्य संवर्धन कर से है ।

3.11 केन्द्रीय विक्रय कर से तात्पर्य केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 की प्रस्तावना में उल्लेखित विक्रय कर से है ।

3.12 प्रवेश कर से तात्पर्य मध्यप्रदेश प्रवेश कर अधिनियम 1976 के सेक्सन 2 अंतर्गत पारिभाषित प्रवेश कर से है ।

3.13 विद्युत शुल्क से तात्पर्य म0प्र0 विद्युत कंपनी के ग्रिड से प्रदाय विद्युत की खपत पर लगने वाले शुल्क से है ।

3.14 मंडी शुल्क से तात्पर्य म0प्र0 राज्य की कृषि उपज मंडी को अधिसूचित कृषि उपजों के क्रय हेतु चुकाये गये शुल्क से है ।

3.15 पूंजी अनुदान से तात्पर्य इकाई स्थापना हेतु किये गये स्थायी पूंजी निवेश पर दिये गये अनुदान से है।

3.16 ब्याज अनुदान से तात्पर्य इकाई स्थापना हेतु वित्तीय संस्था व्दारा प्रदत्त टर्म लोन पर देय ब्याज पर 'दिए गए अनुदान से है ।

3.16 टेक्सटाईल परियोजना से अभिप्रेत निम्नलिखित औद्योगिक इकाईयें से है :–

1. काटन जीनिंग एवं प्रेसिंग
2. सिल्क रीलिंग एंव टवीस्टिंग
3. वूल स्कोरिंग्र, काम्बिंक एवं कालीन उद्योग
4. सिंथेटिंक फिलामेट यार्न टेक्सचराइजिग , क्रिम्पिंग एवं टवीस्टिंग
5. स्पिनिंग
6. विस्कोज स्टेपल फाईबर (व्ही.एस.एफ.) एवं विस्कोज फिलामेंट यार्न (व्ही.एफ.वाय.)
7. व्हीविंग, निटिंग एवं फेब्रिक कसीदाकारी
8. टेक्नीकल टेक्सटाईल नान बूवेन सहित
9. गारमेंट/डिजाईन स्टूडियो/मेड–अप विनिर्माण
10. फायवर, यार्न, फेब्रिक, गारमेंट एवं मेड–अप का प्रसंस्करण
11. जूट उद्योग

3.17 **"TUFS"** से अभिप्रेत हैः– वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के संकल्प कमांक 6/4/2007–सी 71 नई दिल्ली नवम्बर 2007 (समय समय पर हुए संशोधन सहित) में वर्णित "TUFS" (Technology Upgradation Fund Scheme)

3.18 वित्तीय संस्थासे अभिप्रेत हैः– सहकारी केन्द्रीय बैंक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, शेड्यूल बैंक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक या अन्य वित्तीय संस्था जो राज्य शासन व्दारा इस योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान हेतु मान्य की जावे ।

3.19 टर्मलोनसे अभिप्रेत हैः– स्थिर आस्तियों(Fixed Assets) के लिए वित्तीय संस्था/बैंक से प्राप्त किया गया ऋण।

3.20 उत्पादन दिनांक से तात्पर्य इकाई व्दारा उत्पादन प्रारंभ कर उत्पादित माल के प्रथम बार विक्रय की दिनांक अर्थात् प्रथम विक्रय देयक की दिनांक से है ।

3.21 प्राथमिकता विकास खण्डसे अभिप्रेत हैः– राज्य शासन व्दारा दिनांक 01.10.2014 की स्थिति में अधिसूचित ऐसा विकासखण्ड जहां कोई वृहद/मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई नही है ।

3.22 निवेशकसे अभिप्रेत हैः– ऐसा व्यक्ति/भागीदार/संस्था/कंपनी जिसके व्दारा मध्यप्रदेश में औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु निवेश कर उसमें वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 01.10.2014 या उसके पश्चात प्रारंभ कर दिया गया हो/प्रस्तावित हो अथवा मध्यप्रदेश में अपेरल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का कार्य दिनांक 01.10.2014 को या उसके पश्चात प्रारंभ किया गया हो/प्रस्तावित हो ।

3.26 जिला स्तरीय सहायता समिति से अभिप्रेत निम्नानुसार गठित समिति से हैः–

1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	अपर/संयुक्त संचालक,परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय	उपाध्यक्ष
3.	अग्रणी जिला प्रबंधक(LDM)	सदस्य
4.	उपायुक्त,वाणिज्यिक कर अथवा प्रतिनिधि जो वाणिज्यिक कर अधिकारी से कम न हो (केवल प्रवेश कर छूट व वैट और सीएसटी सहायता से संबंधित प्रकरणों में	सदस्य
5.	महाप्रबंधक,जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य/सचिव

पूंजी अनुदानः–

6.1 सूक्ष्म एवं लद्यु स्तर की औद्योगिक इकाईयों को संयंत्र और मशीनरी में किये गये पात्र निवेश का 15 प्रतिशत अधिकतम 15 लाख रू0 पूंजी अनुदान दिया जाएगा परंतु निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थापित इकाईयों को इस अनुदान की पात्रता नहीं होगी ।

(1) नगर निगम की अधिसूचित सीमा

(2) नगर/शहर,जिनकी आबादी 3 लाख या अधिक हो(वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर) ।राज्य शासन अथवा उसके उपक्रम व्दारा विकसित किये गयेऔद्योगिक विकास केन्द औद्योगिक क्षेत्रो एवं संस्थानों में स्थापित उद्योगों को योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता होगी ।

6.2 सूक्ष्म,लद्यु एवं उद्यम स्तर की वस्त्र उद्योग इकाईयों को टेक्नोलांजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम(**TUFS**)में
अनुमोदित संयंत्र और मशीनरी में अधिकतम एक करोड़ रूपये तक, पात्र निवेश का दस प्रतिशत निवेश अनुदान
दिया जायेगा ।

6.3 सूक्ष्म एवं लद्यु स्तर की वस्त्र उद्योग को कण्डिका 6.1 या 6.2 में उल्लेखित किसी एक सहायता को चुनने की स्वतंत्रता होगी । परंतु यदि सूक्ष्म एवं लद्यु स्तर की वस्त्र उद्योग व्दारा कण्डिका 7.2 अंतर्गत सहायता हेतु आवेदन दिया है/लाभ प्राप्त किया है तो उसे कण्डिका 6.1 में उल्लेखित सहायता का लाभ पाने की पात्रता नहीं होगी ।

6.4 सूक्ष्म एवं लघु स्तर के फार्मास्युटिकल विनिर्माण उद्यमों को नई इकाईयों के समकक्ष निवेश में सहायता मिलेगी यदि ये इकाईयां अतिरिक्त 10 लाख रूपये या विद्यमान निवेश की 50 प्रतिशत राशि संयंत्र और मशीनरी (इनमें से जो अधिक हो) विस्तार/शवलीकरण के लिए निवेश करती है ।

6.5 वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर इकाई को निवेश अनुदान हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–2) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट–3) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगाः–

(1) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत मेमोरेण्डम पार्ट 2 जमा करने पर दी गई अभिस्वीकृति का क्रंमाक व दिनांक

(2) संयंत्र और मशीनरी में किए गए पात्र निवेश के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र/मूल्यांकन।

(3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र/पंजीयन प्रमाण–पत्र (यदि लागू हों)

(4) वस्त्र इकाई के प्रकरण में –

(अ) टफ्स (**TUFS**) अंतर्गत मान्य प्लांट एवं मशीनरी में किया गया निवेश संबंधी दस्तावेज (मय सूची के)

(ब) वित्तीय संस्था का ऋण स्वीकृति एवं वितरण संबंधी प्रमाण–पत्र।

6.6 जिलास्तरीय सहायता समिति के अनुमोदन उपरांत महाप्रबंधक द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा तथा निवेशक को देय सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

7 ब्याज अनुदान–

7.1 पात्र इकाईयों को निम्नानुसार सावधि ऋण (Term Loan) पर ब्याज अनुदान सहायता दी जायेगी :–

इकाई का प्रकार	ब्याज अनुदान
सूक्ष्म स्तर की औद्योगिक इकाई	5 प्रतिशत की दर से 3 लाख रूपए की वार्षिक सीमा अंतर्गत 7 वर्ष के लिए
लघु स्तर की औद्योगिक इकाई	5 प्रतिशत की दर से 4 लाख रूपए की वार्षिक सीमा अंतर्गत 7 वर्ष के लिए
मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाई	5 प्रतिशत की दर से 5 लाख रूपए की वार्षिक सीमा अंतर्गत 7 वर्ष के लिए

7.2 नवीन टेक्सटाइल इकाई को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी हेतु लिए गए टर्मलोन पर वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्ष के लिए 2 प्रतिशत की दर से अधिकतम रूपए 5 करोड़ की सीमा तक ब्याज अनुदान की सहायता दी जाएगी।

7.3 नवीन टेक्सटाइल इकाई को कण्डिका 7.1 या 7.2 में उल्लेखित किसी एक सहायता हेतु चुनने की स्वतंत्रता होगी। परंतु यदि नवीन टेक्सटाईल इकाई द्वारा कण्डिका 6.2 अंतर्गत सहायता हेतु आवेदन दिया है/लाभ प्राप्त किया है तो उसे कण्डिका 7.1 में उल्लेखित सहायता का लाभ पाने की पात्रता नहीं होगी।

7.4 टर्मलोन प्रदान करने वाली संस्था द्वारा कण्डिका 7.1 अंतर्गत सहायता हेतु परिशिष्ट–5 तथा कण्डिका

7.2 अंतर्गत सहायता हेतु परिशिष्ट–6 के अनुसार प्रपत्र में टर्मलोन पर ब्याज अनुदान प्राप्त करने हेतु क्लेम संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जाएगा अथवा इकाई के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा परिशिष्ट–5/6 अनुसार प्रपत्र में क्लेम टर्मलोन प्रदान करने वाली संस्था से प्राप्त कर संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जाएगा। क्लेम पत्रक जिस त्रैमास से संबंधित है उस त्रैमास की समाप्ति के 90 दिवस के भीतरसंबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जाएगा।

7.5 जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा इकाई द्वारा किए गए स्थायी पूंजी निवेश, पात्रता अवधि व प्रतिशत के संबंध में निर्णय लेकर ब्याज अनुदान सुविधा स्वीकृत करेगी।

7.6 किसी इकाई को जिला स्तरीय सहायता समिति से एक बार सुविधा अनुमोदित होने के बाद महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इसे संपूर्ण पात्रता अवधि में वितरित करने के लिए सक्षम होगें अर्थात् किसी इकाई को एक बार समिति द्वारा अनुमोदित होने पर उसके प्रकरण में वित्तीय संस्था से

त्रैमासिक क्लेम प्राप्त होने पर उसकी त्रैमासबार स्वीकृति पुनः समिति से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। पंरतु स्थायी पूंजी निवेश में परिवर्तन होने पर वितरण हेतु समिति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।
7.7 महाप्रबंधक द्वारा ब्याज अनुदान हेतु परिशिष्ट–7 में स्वीकृति–सह–वितरण आदेश जारी किया जायेगा।

8. परियोजना अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति
8.1 यदि निवेशक परियोजना स्थापना हेतु निजी भूमि अधिगृहित करता है या अविकसित शासकीय भूमि प्राप्त करता है तो ऐसी इकाईयों को बिजली पानी, सड़क अधोसंरचना विकास के लिए प्रत्येक मद हेतु अधिकतम एक करोड़की सीमा तक अधोसंरचना विकास में हुए व्यय की 50 प्रतिशत तक की सहायता दी जायेगी । सूक्ष्म एवं लद्यु स्तर की औद्योगिक इकाईयां इस सहायता हेतु पात्र नही होगी ।

9. हरित औद्योगीकरण
9.1 उद्योगों को अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियां (जैसे ईटीपी, एसटीपी आदि) पदूषण नियंत्रित युक्तियां स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों जल संरक्षण/दोहन आदि की स्थापना में निवेश के लिए 50 प्रतिशत पूंजी अनुदान अधिकतम 25 लाख रूपये प्रदान किया जाएगा । सूक्ष्म स्तर की औद्योगिक इकाईया इस सहायता हेतु पात्र नहीं होगी ।

10. प्रवेश कर छूट

10.1 पात्र सूक्ष्म, लद्यु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों को 5 वर्ष तक प्रवेश कर छूट की सहायता दी जायेगी ।

10.2 इकाई व्दारा इस सहायता हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–2) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र(परिशिष्ट–3)संबधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया जाएगां।

10.3 जिला स्तरीय सहायता समिति की स्वीकृति उपरांत प्रवेश कर छूट का पत्रता प्रमाण पत्र (परिशिष्ट–8) सचिव जिला स्तरीय सहायता समिति व्दारा जारी किया जाएगा जो मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1976 की धारा 10 अंतर्गत जारी किया समझा जायेगा ।

10.4 प्रवेश कर से छूट प्राप्त करने हेतु इकाई वाणिज्यिक कर विभाग के नियमों के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी होना चाहिए ।

10.5 वाणिज्यिक कर विभाग व्दारा उद्योग सर्वधन नीति के प्रावधानों को **कियान्वित करने के लिये वर्ष** 2010 में जारी की गई अधिसूचना कमांक 96, दिनांक 13 दिसम्बर 2010 वृहद श्रेणी के उद्योगों के लिए उपरोक्तानुसार संशोधित मान्य होगी ।

11. वैट एवं सीएसटी प्रतिपूर्ति

11.1 रूपये एक करोड़ या उससे अधिक का स्थायी पूंजी निवेश करने वाले पात्र उद्योगों (टेक्सटाईल इकाईयों को छोड़कर) को उनके व्दारा प्लांट एवं मशीनरी में किये गये कुल निवेश की सीमा तक निर्धारित पात्रता अवधि के दौरान जमा किये गये मूल्य सवंर्धित कर (वैट) और केन्द्रीय विकयकर (जिसमें कच्चे माल की खरीद पर मूल्य सवंर्धित कर की राशि शामिल नही है) कि राशि पर इनपुट टेक्स रिवेट समायोजित करने के बाद प्रतिपूर्ति की सहायता दी जायेगी जोकि 50 प्रतिशत के मान से प्राथमिकता विकासखण्ड में स्थापित उद्योगों को 7 वर्षो तथा अन्य विकासखण्ड में स्थापित उद्योगों को 5 वर्षो की अवधि के लिए होगी ।

यद्यपि रूपयेएक करोड़ या उससे अधिक का स्थायी पूंजी निवेश करने वाली टैक्सटाईल इकाईयों कोउसके वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 8 वर्ष के लिए, टफ अंतर्गत अनुमोदितप्लांट एवं मशीनरी में किये गये निवेश की सीमा तक, निम्नानुसार निवेश संवर्धन सहायता प्रदान की जायेगीः–

काटन जीनिंग–जीनिंग काटन को अंतर्राज्यीय विक्रय करने पर चुकाये गये सीएसटी के समतुल्य

11.2 इकाई व्दारा प्रतिवर्ष भुगतान किये जाने वाले कुल मूल्य सवंर्धित कर और केन्द्रीयविक्रय कर की, पात्रता अनुसार 75 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक कर विभाग व्दारा जारी कर पुष्टि दस्तावेज के आधार पर की जायेगी ।शेष 25 प्रतिशत राशि की पूर्ति वाणिज्यिक कर विभाग व्दारा कर निर्धारण आदेशके बाद की जायगी ।

12 विद्युत कर में छूटः–

12.1 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधरण) में दिनांक 4 मार्च, 2014 को प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ–3–23–2013–तेरह में निहित प्रावधानों के दृष्टिगत सभी पात्र इकाईयों जिनके व्दारा दिनांक 04 मार्च 2014 से दिनांक 03 मार्च 2019 तक राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों से नवीन उच्च दाब संयोजन प्राप्त किये गये है/जायेगे, को कंडिका 12.2 में दर्शायी कालावधि के लिए ग्रिड से प्रदाय की गई विद्युत के लिये उक्त अधिसूचना की शर्तो के अध्याधीन विद्युत शुल्क के संदाय से छूट की सुविधा उपलब्ध होगी ।

12.2 नवीन औद्योगिक इकाईयों को 33 केवी कनेक्शन के लिये 5 वर्षो की अवधि तक, 132 केवी कनेक्शन के लिए 7 वर्षो की अवधि तक तथा 220 केवी कनेक्शन के लिये 10 वर्षो तक की अवधि तक विद्युत शुल्क (ड्यूटी) में छूट दी जायेगी ।

12.3 इकाई व्दारा इस सहायता हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–2) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट–3) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया जायेगा ।

13. मण्डी शुल्क से छूट

13.1 ऐसी सभी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां जिनमें संयंत्र और मशीनरी में निवेश कम से कम 50 लाख रू0 हो, को संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश के अधिकतम 50 प्रतिशत या 5 वर्ष की अवधि (इनमें से जो भी कम हो) के लिए मण्डी शुल्क से छूट दी जायेगी ।

14. अपेरल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु सहायता–

14.1 निजी संस्था व्दारा अपेरल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिये स्थायी पूंजी निवेश में किये गये व्यय का 25 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा, जिसकी अधिकतम सीमा रू0 25 लाख होगी ।

14.2 अपेरल प्रशिक्षण संस्थान मध्यप्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त होना चाहिए ।

15. उद्योग संर्वधन नीति 2014 के परिशिष्ट–1(विशेष पैकेज 2014)एवं परिशिष्ट–2 (पांलसी पैकेज 2014) अंतर्गत पात्र औद्योगिक इकाईयों को सुविधाओं की स्वकृति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति (HLC) से या परिशिष्ट–3 मध्यप्रदेश स्माल स्केल इंडस्ट्रीज रिवाईवल स्कीम, 2014) अंतर्गत पात्र औद्योगिक इकाईयों को सुविधाओं की स्वीकृति जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित अधिकार प्रदत्त समिति (Empowered Committee) से प्राप्त होने के उपरांत उद्योग संर्वधन नीति 2014 अंतर्गत देय वित्तीय सहायता/सुविधा का प्रदाय महाप्रबंधक व्दारा किया जाएगा ।

16. निवेश प्रोत्साहन राशि/सुविधा प्राप्त करने की सामान्य प्रकिया–

16.1 औद्योगिक इकाई को वित्तीय सहायता हेतु निर्धारित आवेदन पत्र समय सीमा में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा ।

16.2 निवेशक व्दारा चाही गयी सुविधाओं के सम्यक विश्लेषण उपरांत महाप्रबंधक व्दारा प्रकरण जिला स्तरीय सहायता समिति की समक्ष निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा ।

16.3 जिला स्तरीय सहायता समिति से स्वीकृति प्राप्त होने पर इस योजनांतर्गत चाही गयी वित्तीय सहायता संबंधी स्वीकृति आदेश महाप्रबंधक व्दारा जारी किये जायेगे । इस स्वीकृति आदेश में उपरोक्त सुविधाओं की दरें पात्रता अवधि तथा अनुदान सीमा तीनों का उल्लेख किया जायेगा ।

17. अपील

जिला स्तरीय सहायता समिति/महाप्रबंधक के निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त के समक्ष निर्णय प्राप्ति दिनांक से तीन माह के भीतर की जा सकेगी । विलंब से प्राप्त अपील के विलंब दोष को उद्योग आयुक्त गुण–दोष के आधार पर शिथिल कर सकेगे । उद्योग आयुक्त के निर्णय के विरूद्ध व्दितीय अपील अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के समक्ष निर्णय प्राप्ति दिनांक से एक माह के भीतर की जा सकेगी

अपात्र उद्योगों की सूचीः–परिशिष्ट–1

स.क.	अपात्र उद्योग
1	बियर और शराब (वाइनरी को छोड़कर)
2	स्लॉटर हाउस और मांस पर आधारित उद्योग
3	सभी प्रकार के पान मसाला और गुटका विनिर्माण
4	तम्बाकू और तम्बाकू
5	40 माइक्रोन या इससे कम के प्लास्टिक बैंग्स का विनिर्माण
6	केन्द्र या राज्य सरकार या उसके उपक्रमों व्दारा स्थापित औद्योगिक इकाईयां
7	स्टोन क्रशर
8	खनिजों की पिसाई
9	राज्य सरकार/राज्य सरकार उपक्रमों के अशोधी/चूककर्ता
10	सभी प्रकार की खनन गतिविधियां(जहां कोई मूल्य संवर्धन नहीं हुआ हो)
11	व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र की गतिविधियां
12	लकड़ी के कोयले(चारकोल) का विनिर्माण
13	खाद्य तेलों की रिफाइनिंग(स्वतंत्र इकाई) एवं सोयाबीन तेल उत्पादक इकाईयां(रिफाइनरी के साथ)
14	सीमेंट(क्लिकंर सहित) विनिर्माण
15	सभी प्रकार के प्रकाशन एवं मुद्रण प्रकियांए (रोटोग्रेवर/फ्लेक्स प्रिटिंग को छोड़कर)
16	सोने एवं चांदी के बुलियन से निर्मित आभूषण एवं अन्य वस्तुयें
17	आरा मिल एवं लकड़ी की प्लनिंग
18	लोहे/स्टील के स्क्रेप को दबाकर इसे ब्लाक्स एवं अन्य किसी प्रकार में बदलना
19	राज्य शासन व्दारा समय–समय पर घोषित अन्य कोई उद्योग

परिशिष्ट–2

''मध्प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहनयोजना 2014''अंतर्गत के आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
———————————— म0प्र0

विषयः–''मध्प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहनयोजना 2014''अंतर्गत सुविधा/सहायता उपलब्ध कराने हेतु ।

मैं/हम जिला————————(मध्यप्रदेश) में इकाई स्थापित/अपेरल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने का आशय रखते है । ''मध्प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहनयोजना 2014''अंतर्गत प्रोत्साहन उपलब्ध कराने हेतु इकाई/अपेरल प्रशिक्षण संस्थान का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

01. इकाई/एंजेसी/संस्था का नामः
02. इकाई/अपेरल प्रशिक्षण संस्थान का स्थलः
स्थान/नगर
विकासखण्ड
तहसील
जिला
03.जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में एमएसएमईडी एक्ट 2006 के तहत मेमोंरेण्डम पार्ट 2जमा करने पर दी गयी अभिस्वीकृति का कमांक व दिनांक
04.इकाई का प्रकार(नवीन/विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन)
05.इकाई के विद्युत संयोजन का भार,कमांक व दिनांक
06.औद्योगिक इकाई की स्थिति में
(1) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांकः
(2) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांकः
तक किये गए स्थायी पूंजी निवेश/यंत्र संयंत्र में पूंजी निवेश की राशि(लाख रूपये में)
(3) इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता

क.	उत्पाद का नाम	वार्षिक क्षमता

(4) इकाई में प्राप्त कुल रोजगार
(5) विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/

तकनीकी उन्नयन होने पर

विवरण	विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन / तकनीकी उन्नयन के पूर्व	विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन / तकनीकी उन्नयन अंतर्गत	योग (विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन पश्चात)
पूंजी निवेश(लाख रू0 में)			
रोजगार			
उत्पादन की वार्षि क्षमता (1) .....(उत्पाद)..... (2) .....(उत्पाद)..... (3) .....(उत्पाद)..... (4) .....(उत्पाद).....			

अपेरल प्रशिक्षण संस्थान की स्थिति

(1) स्थापना का दिनांक(दस्तावेज संलग्न है):

(2)प्रशिक्षणार्थी क्षमता(वार्षिक) :

07. चाही गयी सहायता का विवरण

(अ) पूंजी अनुदान (नियम–6)

(1) प्रथम विकय के देयक की दिनांक :
(छायाप्रति संलग्न है)

(2)सक्षम प्राधिकारी व्दारा जारी अनुमति/ :
अनापत्ति प्रमाण पत्र/पंजीयन प्रमाण पत्र(यदि लागू हो तो)

(3)प्लांट एवं मशीनरी पर किये गये व्यय की चार्टड इंजीनियर/चार्टड अकाउन्टेंट व्दारा प्रमाणित मदवार व्यय राशि(प्रमाण पत्र संलग्न है)
या
टफ्स (**TUFS**) अंतर्गत मान्य प्लांट एवंमशीनरी में किया गया निवेश
(दस्तावेज मय सूची संलग्न है)

(राशि लाख रूपये में)

कं.	विवरण	राशि
1		
2		
3		
	योग	

(4) वित्तीय संस्था का ऋण स्वीकृत एवं वितरण संबंधी पत्र (यदि लागू हो तो) :

(ब) परियोजना अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु किये गये व्यय कीप्रतिपूर्ति(नियम–8)

(1)विकसित की गई अधोसंरचना का संक्षिप्त विवरण :

(2) उद्योग परिसर तक अधोसंरचना विकसित करने का दिनांक अक्टूबर 2014 या उसके पश्चात

(राशि लाख रूपये में)
सड़क निर्माण हेतु ———————

एवं इकाई की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक तक चार्टर्ड इंजीनियर/ चार्टर्ड अकाउन्टेंट व्दारा प्रमाणित व्यय राशि (प्रमाण पत्र संलग्न है)

विद्युतीकरण हेतु ————
जल अधोसंरचना हेतु————

(स) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति(नियम–9)

(1) स्थापित की गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों कासंक्षिप्त विवरण(पदूषण नियंत्रण मण्डल/औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय का प्रमाण पत्र संलग्न)

(2) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की (राशि लाख रूपये में)

क्रं.	विवरण	राशि
1		
2		
3		
	योग	

स्थापन पर दिनांक 1 अक्टूबर 2014 या उसके पश्चात किये गये व्यय की चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउटेंट व्दारा प्रमाणित मदवार व्यय राशि (प्रमाण पर संलग्न)

(द) प्रवेश मुक्ति सुविधा (नियम–10)

(1) वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त :

किया गया **TIN** व दिनांक (छायाप्रति संलग्न)

(2) प्रथम कच्चामाल क्रय दिनांक : (संबंधित देयक की प्रति संलग्न)

(3) कच्चामाल/आनुषांगिक माल/ पैंकिंग मटेरियल के नाम एवं वार्षिक मात्रा

क्रं.	नाम	वार्षिक मात्रा

(4) आवेदन दिनांक तक उत्पादनः एवं विक्रय के वर्षवार आंकड़े

वित्तीय वर्ष.	उत्पादन	विक्रय

(इ) वैट एवं सी.एस.टी. प्रतिपूर्ति(नियम–11)

(1) क्या इकाई प्राथमिकता विकासखण्ड :
में स्थापित है9 यदि हां तो विकास–
खण्ड का नाम(जिले सहित)

(2) वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त किया :

TINव दिनांक (छायाप्रति संलग्न)

(3) वित्तीय वर्ष ———— में राज्य शासन :
केपास जमा की गई शुद्ध कर राशि
(रूपये में) (दस्तावेज संलग्न)

(4)वित्तीय वर्ष ———— में इकाई के :
उत्पादित मुख्य उत्पाद, सह उत्पादन
(Bye-Product) एवं उत्पादन की
प्रक्रिया से प्राप्त बर्ज्य पदार्थब की मात्रा एवं विक्रय
की राशि (दस्तावेज संलग्न है

(5) **<u>टेक्सटाईल उद्योगों हेतु (विशेष टेक्सटाईल पैकेज)</u>**

(1) TUFSअंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवंः
मशीनरी में पूंजी निवेश(लाख रू0में)

(2)वित्तीय वर्ष ———— में इकाई की :
गतिविधि का प्रकार (जो लागू हो)

क/काटन जनिग जिनिंग काटन के
अंतर्राज्यीय विक्रय करने पर चुकाई गई
सीएसटी की राशि (रूपये में)

ख/स्पिनिंग मिल–कॉटन यार्न के
अंतर्राज्यीय विक्रय करने पर चुकाई
गई अभिकलित सकल (computed gross)
सी एस टी की राशि(रू0 में)

ग/ वस्त्र विनिर्माण इकाई (वस्त्र कर मुक्त उत्पाद है)
विनिर्माण इकाई व्दारा काटन यार्न क्रय करने पर

चुकाये गये वेट की राशि (रू0 में)

घ/ रेडीमेड गारमेंट/अपेरल इकाई – रेडीमेड
गारमेंट /अपेरल इकाई विक्रय करने पर
चुकाये गये वेट और सी एस टी की राशि (रू0 में)
(उपरोक्त हेतु कर पुष्टि दस्तावेज संलग्न)
(6) अन्य उद्योगो हेतु
जमा किये गये मूल्य सवंर्धित कर और केन्द्रींय
विक्रय कर की राशि (रूप्ये में) (जिसमें कच्चा माल
खरीद पर मूल्य सवंर्धित कर की राशि शामिल नही हैं,
पर इनपुट टैक्स रिबेट समायोजन पश्चात)
(उपरोक्त हेतु कर पुष्टि दस्तावेज संलग्न)
फ/ विद्युत शुल्क में छूट (नियम 12)
1/ हाई टेंशन (एच टी) कनेक्शन संयोजन का दिनांक
व के वी कनेक्शन का प्रकार (33/132/220)
(दस्तावेज संलग्न)
2/ उपभोक्ता क्रमांक
ज / मंण्डी शुल्क में छूट (नियम 13)
मण्डी समिति से प्राप्त पञ्जस्करण एव ंक्रय–विक्रय
के वैद्य लायसेंस का क्रमांक एवं दिनांक
(मंडी समिति से सत्यापित दस्तावेज संलग्न)

च/ अपेरल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु सहायता (नियम 14)

1. म0प्र0 शासन से मान्यता प्राप्त दिनांक (दस्तावेज संलग्न)
2. स्थायी पूंजी निवेश के संबध में चार्टेड एकाउंटेंट/चार्टेड इंजीनियर का प्रमाण पत्र (मदवार व्यय सत्यापन सहित)
3. संस्थान व्दारा आवेदन दिनांक के पूर्व के 6 माहों में दिये गये प्रशिक्षण का संक्षिप्त विवरण(संबधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न)

कृप्या मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014 अंतर्गत सुविधा/सहायता स्वीकृत करने का कष्ट करें ।

संलग्नः–
दिनांकः–
स्थान :–

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति
हस्ताक्षर
नाम.....
पद.....
(सील)

नोट :'– जिस सुविधा/सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो, उसमें लागू नही अंकित किया जावे ।

परिशिष्ट–5

ब्याज अनुदान प्राप्त करने के संबंध में त्रैमासिक पत्रक

(म0प्र0 वित्त निगम/राष्ट्रीयकृत बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थाओं व्दारा वितरित टर्मलोन पर ब्याज अनुदान, नियम–7)

शाखा का नामः————————

क्रं.	वित्तीय सहायता प्राप्त इकाई का नाम	टर्मलोन स्वीकृति की राशि	त्रैमास के अंत तक टर्मलोन का वितरण	इकाई का उत्पादन दिनांक	त्रैमास के प्रारंभ में शेष टर्मलोन धन राशि	टर्मलोन पर ब्याज की दर एवं राशि	अनुदान अर्हता की दर	इकाई को प्रदत्त अनुदान		रिमार्क
								पिछलेत्रैमास के अंत तक	चालू त्रैमास अंतर्गत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. इकाई व्दारा किश्तों का नियमित भुगतान किया जा रहा है ।

2. इकाई व्दारा ऋण स्वीकृति की शर्तो के अनुरूप किश्तों का भुगतानकिया जा रहा है व उक्त में किसी प्रकार का दण्ड ब्याज शामिल नहीं है

हस्ताक्षर

प्रबंधक

————————शाखा

म0प्र0 वित्त निगम/राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था

अध्याय 14

5. मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबधंन नियम 2015 ।

(अ) ये नियम मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबधंन नियम 2015 कहलायेगें ।
(ब) सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य पर ये नियम विस्तारित किये जायेगें।
(स) ये नियम तत्काल प्रभाव से प्रभावशाली होगें।

1. औद्योगिक भूमि/भवन आबंटन के अधिकार :–

विकसित/विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में इकाईयों को औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि का आबंटन प्राप्त अधिकारों के तहत किया जावेगा ।

1.	महाप्रबंधक,	दो हेक्टर तक
2.	परिक्षेत्रीय उद्योग प्राधिकारी	दो हेक्टयर से चार हेक्टर तक
3.	उद्योग आयुक्त	चार से आठ हेक्टयर तक
4.	राज्य शासन	8 हेक्टयर से अधिक

2. औद्योगिक प्रयोजन हेतु 12 हेक्टर तक अविकसित औद्योगिक भूमि का आबंटन उद्योग आयुक्त व्दारा किया जावेगा, 12 हैक्टयर से अधिक औद्योगिक भूमि का आबंटन राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत उद्योग आयुक्त व्दारा किया जावेगा ।
3. औद्योगिक भवनों के आबंटन के अधिकार यथा स्थिति महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को होगें ।
4. विकसित एवं विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आबंटन हेतु प्रब्याजि, विकास शुल्क, भू–भाटक तथा वार्षिक संधारण शुल्क तय होगा । अविकसित भूमि के लिये प्रब्याजि तथा भू–भाटक देय होगा ।
5. प्रब्याजि की गणना भूमि के मूल्य में दी जाने वाली छूट को प्रभावी कर गणित की जावेगा तथा वार्षिक भू–भाटक प्रब्याजि का 2 प्रतिशत होगा ।
6. विकास शुल्क की गणना औद्योगिक क्षेत्र के आंतरिक विकास में हुए कुल व्यय पर समानुपातिक रूप से की जायेगी तथा विकास शुल्क भूमि आंबटन के समय एक मुश्त देय होगा
7. औद्योगिक क्षेत्रों के संधारण को बनाये रखने की दृष्टि स` जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द अनुमानित वार्षिक संधारण व्यय का आकलन करेगें तथा इसे समानुतिक रूप से कुल आबंटन योग्य क्षेत्र पर प्रति वर्गमीटर गणित किया जायेगा । आबंटी व्दारा उसे आबंटित क्षेत्रका वार्षिक संधारण शुल्क देय होगा ।
8. गामीण क्षेत्रों में विकसित/विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का मूल्य संबंधित क्षेत्रों में भूमि का मूल्य संबंधित क्षेत्र की असिचित कृषि भूमि के लिये निर्धारित कलेक्टर गाईड लाइन को 0.0.6 से भाग देने पर निकाला जायेगा । नगरीय क्षेत्रों में विकसित/अविकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का मूल्य संबंधित क्षेत्र के आवासीय भू–खंडों के लिये कलेक्टर व्दारा निर्धारित गाईड लाईन के बराकर होगा ।
9. अविकसित भूमि का मूल्य जिले के भूमि से संलग्न क्षेत्रों में असिंचित कृषि भूमि के लिये निर्धारित कलेक्टर गाईड लाईन के बराबर होगा ।

2. प्रीमियम की गणना हेतु भूमि के मूल्य में छूट/रियायत

1. प्रब्याजि से आशय उस राशि से है जो आबंटी व्दारा भूमि का आबंटन/पाप्त करने के एवज में देय हे प्रब्याजि की गणना, भूमि के मूल्य पर दी गई छूट के अनुसार होगी, अर्थात भूमि के मूल्य पर दर पर दी गई छूट को प्रभावी करने के उपरांत देय प्रब्याजि की राशि होगी । इस छूट के संबध में निवेश प्रबंधन पर मंत्री परिषद समिति के की पूर्व अनुमति के अनुमोदन उपरांत राज्य शासन व्दारा समय समय पर सामान्य या विशिंष्ट आदेश जारी किये जावेगे ।
2. आबंटी इकाईयों को देयताओं के संदर्भ में बिलंब अवधि हेतु 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज राशि देय होगी ।
3. आबंटन हेतु आवेदन
   1. अविकसित भूमि :– अविकसित भूमि हेतु वृहद औद्योगिक इकाई संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में बेबसाईट www.mp.msms.gov.inपर निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन एंव चैकलिस्ट के अनुसार अन्य अभिलेख, आवेदन शुल्क की राशि रू0 10000.00 जमा कर अपलोड करेगा । संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र आवेदन का परीक्षण एवं आवेदित भूमि की मात्रा हेतु आवेदन दिनांक को प्रचलित दर पर प्रब्याजि का 25 प्रतिशत अग्रिम रशि जमा कराकर, भूमि की मात्रा की गणना कर अपनी अनुशंसा के साथ परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय एक सप्ताह के अंदर प्रस्ताव का परीक्षण कर अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन उद्योग आयुक्त को अग्रेशित करेगा ।

   2. विकसित/विकसित किये जाने वाली भूमि :–

पात्र आवेदक इकाईयां जिला व्यापार एंवं उद्योग केन्द्रो व्दारा विकसित/विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर आवेदन एवं चैकलिस्ट अनुसार अन्य अभिलेख एंव आवेदक शुल्क की राशि जमा कर संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द कार्यालय क` सिंगल विण्डा सिस्टम में आवेदन जमा करना होगा । इकाई को तत्समय प्रब्याजि का 25 प्रतिशत अग्रिम राशि जमा करना हेागी । सूक्ष्म एंव लघु उद्योगो हेतु आवेदन शुल्क रूप्या 2000.00, मध्यम उद्योगेा इकाईयेां हेतु आवेदन शुल्क की राशि 5000.00एवं वृहद इकाईयों हेतु रू0 10,000.00आवेदन शुल्क होगा ।

3. चैकलिस्ट के अनुसार अभिलेख इकाई को आवेदन पत्र के साथ सलग्न/ विभागीय अपलोड करना होगा –
    1. औद्योगिक गतिविधि की परियेाजना प्रतिवेदन, जिसमें संयत्र–यंत्र उपकरण तथा इनसे सुसंगत औद्योगिक शेड, कच्चे माल की व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन, प्रस्तावित रोजगार सृजन, परियोजना की व्यवसायिक आव यकता, आवश्यक निर्मित क्षेत्र का विस्तृत विवरण हो ।
    2. औद्योगिक अथवा परिभाशित आनुशांगिक प्रयोजन के लिये इंटरप्रिनियोर मेमोरेंण्डम (ई–एम पार्ट–1)/आई ई एम ।
    3. परियोजना में द ित निर्मित क्षेत्र का प्रस्तावित मानचित्र (ले आउट प्लान) ।
    4. परियोजना कियान्वयन का समयकबद्व कार्यकम
    5. परियोजना की वित्तीय व्यवस्था की योजना
    6. पूर्ण आवेदन एवं आवेदन शुल्क जमा कर देने मात्र से आवेदक कें आवेदित भूमि का मात्रा एवं आबंटन के संबंध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगे । उद्योग के लिये आवश्यक भूमि की मात्रा का आंकलन नियमों के प्रावधान अंतर्गत भू–आबंटन प्राधिकारी व्दारा किया जावेगा ।
4. आवेदनों के निराकरण की प्रकिया
    1. आनलाईन प्राप्त आवेदनों का आबंटन प्राधिकारी परीक्षण कर आवेदकों के भू–खंड/ ोड की आवश्यकता एवं मात्रा का आकलन करेगा। विकसित/विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आबंटन का प्रथम आओ प्रथम पाओ सिद्वांत अंतर्गत आवेदन–कमसे किया जावेगा ।
    2. भू–खंड हेतु पूर्ण आवेदन प्राप्ति उपरांत आवेदक को पात्रता होने पर आवश्यकता को दृश्टिगत अनिवार्यतः पन्द्रह दिवस में निर्धारित प्रारूप में आशय पत्र जारी कर दिया जायेगा । आशय पत्र के साथ आवेदक की सहमति प्राप्त करने हेतु सहमति पत्र का प्रारूप का निर्धारित प्रारूप भी संलगन किया जावेगा ।
    3. अद्यतन आवेदन पत्र विभागीय बेबसाईट पर प्रदर्शित होगी । यह सूची स्थायी रहेगी सूची के आवेदकों को आबंटन किये जाने पर, उनके व्दारा आबंटन वापिस किय जाने पर या नवीन आबंटन की प्राप्ति पर सूची को अद्यतन करना हेागा । आवेदकों केा आवेदन पत्र में ई–मेल एवं मोबाईल नंबर उल्लेखित करना होगा ताकि आबंटन के संबंध में तत्काल सूचना दी जा सकेगी ।
    4. प्राप्त आवेदनों में आशय पत्र जारी करने के दिनांक केा लागू प्रब्याजि, भू–भाटक, विकास शुल्क एंव संधारण शुल्क की दरों के आधार पर देय राशियों की गणना की जावेगा तथापि आवेदन पत्र के साथ जमा प्रब्याजि 25 प्रतिशत अग्रिम राशि समायोजन योग्य होगी ।
    5. सक्षम प्राधिकारी किसी इकाई को ऐसे औद्योगिक क्षेत्र में जहां अधोसरचना विकास कार्य प्रारंभ कर दिया गया हो भूमि आबंटन कर सकेगा, बशर्ते कि इकाई व्दारा निर्धारित प्रब्याजि एवं विकास शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा । आबंटित भू–खंड का आधिपत्य औद्योगिक क्षेत्र के अधिसूचित होने के पश्चात ही दिया जावेगा ।
    6. भू–खंड का आबंटन आदेश, पटटाभिलेख निष्पादन एवं आधिपत्यः–
        1. आशय पत्र : आशय पत्र जारी होने के दिनांक से 30 दिन में आबंटी व्दारा आशय पत्र में उल्लेखित देय राशि महाप्रबंधक के कार्यालय में सहमति पत्र सहित जमा की जायेगी । इस अवधि के उपरांत कारण उल्लेखित करते हुए आबंटी को आशय पत्र निरस्त करने हेतु 30 दिवसीय कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जावेगा । सूचना पत्र में वर्णित अवधि मे बिलंबित अवधि का 10 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज राशि सहित जमा न करने पर आशय पत्र निरस्त दिया जावेगा एवं उसकी विधिवत सूचना पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से आवेदक को उसके आवेदन में द ार्ाये गये पते पर भेज दी जावेगी। इस प्रावधान के अंतर्गत आशय पत्र की वैधता जारी करने की दिनांक से 60 दिन होगी । आशय पत्र की वैधता जारी की दिनांक से अधिकतम 60 दिन होगी । आशय पत्र की वैधता समाप्त होने पर इकाई कें जमा की गई प्रीमियम राशि का 90 प्रतिशत वापिस की जायेगी ।
        2. आबंटन आदेश जारी करना :– आशय पत्र की शर्ते की पूर्ति, जिसमें वांछित राशि यथा प्रीमियम, संधारण शुल्क हो जाने के उपरांत आबंटनकर्त्ता प्राधिकारी व्दाराा आबंटन आदेश, विशिश्ट भू–खंड का कमांक, सेक्टर तथा चर्तुसीमा अंकित कर 7 दिवस में जारी कर पंजीकृत पावती सहित डाक से अथवा व्यक्तिगत रूप से अथवा आनलाईन आवेदक को वितरित किया जावेगा । प्रत्येक आबंटन की प्रविष्टि आबंटनकर्त्ता अधिकारी कार्यालय में लंबी अवधि तक नष्ट न होने वाले कागज (जैसे हरा लेजर पेपर) से बनायी पंजी में की जावेगी ।
        3. पटटाभिलेख का निष्पादन :'– आबंटन शर्तो की पूर्ति करने हेतु 30 दिवस के अंदन आवेदक को निर्धारित प्रारूप में लीजडीड निष्पादित कर पंजीकृत करना होगी । समयावधि में लीजडीड निष्पादित

करने के अनिच्छुक आबंटी को 30 दिवसीय कारण बताओ सूचना पवत्र जारी कर आबंटन आदेश निरस्त किया जा सकेगा ।

4. आधिपत्य/हस्तांतरण :– लीजडीड पंजीयन के सात दिवस में भूमि के आधिपत्य का पटादाता के व्दारा पटटाग्रहिता के पक्ष में हस्तांतरण आवश्यक होगा । आधिपत्य पत्र निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में तैयार किया जावेगा, जिसकी एक प्रति आबंटी के पास एंव दूसरी प्रति आबंटनकर्त्ता प्राधिकारी के कार्यालय में रखी जावेगी । पटटाग्रहिता व्दारा निर्धारित अवधि में आधिपत्य प्राप्त न करने पर यह माना जावेगा कि उसके व्दारा लीजलडीड दिनांक दिनांक से आधिपत्य प्राप्त कर लिया गया (डीम्ड पजेशन) है ।
5. निर्धारित अवधि में पटटाविलेख का पंजीयन न कराने/आधिपत्य न लेनेकी दशा में पटटाग्रहिता को 30 दिवस की समयावधि का कारण बताओ सूचना पत्र पंजीकृत पावती डाक से प्रेषित किया जावेगा, किंतु इकाई के अनुरोध पर अधिकतम90 दिवस की समयावधि राज्य शासन व्दारा बढा सकेगा । इसके उपरांत भी पंजीकृत पटटाभिलेख प्रस्तुत न करने /आधिपत्य प्राप्त न करने पर निष्पादित पटटाभिलेख एवं आबंटन आदेश निरस्त कर इकाई को उसके आवेदन पत्र में वर्णित पते पर पंजीकृत पावती डाक से सूचित कर दिया जायेगा तथा उसके व्दारा जमा प्रब्याजि की 90 प्रतिशत राशि बिना ब्याज के महाप्रबंधक व्दारा वापस कर दी जावेगी ।
6. ऐसे मामलों में जहां उद्योग स्थापनार्थ विशिष्ट अनुमतियां, जैसे प्रदूषण नियंत्रण विधि/नियमों , विस्फोटक पदार्थ उत्पाद संबधी नियमो, वन विभाग, आबकारी विभाग, नियंत्रक, औषधि एवं प्रसाधन आदि के नियमों के अंर्तगत आवश्यक हो, में पटटाभिलेख निष्पादन एव आधिपत्य प्राप्त करने हेतु, ऐसी अनुमतियां को बाध्यकारी नहीं माना जायेगा । ऐसे प्रकरणों में आधिपत्य प्राप्ति के एक वर्ष के अंदर भी अनुमतियां प्राप्त नहीं होने की दशा में, आबंटी भूमि समर्पित कर नियम (24) के प्रावधान अंतर्गत प्रब्याजि की राशि का 90 प्रतिशत प्राप्त कर सकेगा । यदि उसके व्दारा भवन आदि का निर्माण किया गया है तो उसको अपनी आस्तियां ले जाने/हटाने की सुविधा होगी आस्तियों को बेचने की स्थितिमें क्रयकर्त्ता को पृथक से संपूर्ण प्रब्याजि व देय राशि जमा कर नियमानुसार भू–आबंटन कराकर पटटा निष्पादित कराना हेागा ।
7. पटटे की अवधि :– पटटे की अवधि औद्योगिक भूमि के लिये 30 वर्ष तथा औद्योगिक भवन हेतु अधिकतम 10 वर्ष होगी ।
8. परियोजना का क्रियान्वयनः–
    1. इकाइ व्दारा उत्पादन प्रारंभ करनाः– प्रत्येक पटटाग्रहिता को भूमि का आधिपत्य प्राप्त कर निश्चित समयावधि में परियोजना क्रियान्वित करना होगी । इस हेतु सभी आवश्यक प्रभावशील कदम उठा कर नियमान्तर्गत भवन निर्माण कर यंत्र–संयंत्र की स्थापना कर निम्नानुसार समयावधि में उद्योग में उत्पादन प्रारंभ करना होगा । समयावधि की गणना आधिपत्य प्राप्त करने के दिनांक से होगी :'–
    (अ) सूक्ष्म एंव लघु उद्योग के मामले में आधिपत्य दिनांक से दो वर्ष
    (ब) मध्यम उद्योग के प्रकरणों में आधिपत्य दिनांक से तीन वर्ष ।
    (स) वृहद उद्योग के प्रकरणों में आधिपत्य दिनांक से चार वर्ष ।

5. विकसित भूमि एवं भवनः–

1. विकसित भूमि एवं भवन के प्रकरणों में उत्पादन प्रारंभ करने हेतु निर्धारित समय सीमा के पश्चात आबंटी प्राधिकारी व्दारा इकाई के प्रस्तावित परियोजना का 50प्रतिशत स्थायी पूंजी निवेश किये जाने की शर्त पर एक वर्ष की समय सीमा निःशुल्क बढा सकेगा । तत्पश्चात पुनः अंतिम रूप से एक वर्ष की समय सीमा में वृद्धि प्रचलित प्रब्याजि का 10 प्रतिशत जमा कराकर कर सकेगा ।
2. प्रत्येक समयावधि वृद्धि हेतु इकाई को समाधानकारक कारणों सहित आवेदन संबधित अधिकारी को, पूर्व प्रदत्त समयावधि की समाप्ति के पूर्व प्रस्तुत करना होगा ।
3. उपरोंक्तानुसार समयावधि पश्चात भी उद्योग स्थापित न होने पर भूमि, भवन/शेड आबंटन आदेश एवं पटटाभिलेख के निरस्तीकरण की कार्यवाही आबंटन प्राधिकारी व्दारा जारी किया जावेगा । निरस्तीकरण का औपचारिक आदेश आबंटन प्राधिकारी व्दारा जारी किया जावेगा ।

4. आबंटित भूमि का पूर्ण उपयोग न करनाः इकाई व्दारा उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से पांच वर्ष के अंदर नियम 6 के अनुसार आबंटित भूमि पर निर्धारित न्यूनतम निर्माण कर भूमि का उपयोग करना होगा अन्यथा मापदंड के अतिरिक्त भूमि को अनुपयोगी घोषित कर वापिस प्राप्त करने की कार्यवाही आबंटी/पटटाता व्दारा की जावेगी । अनुपयोगी भूमि की प्रीमियम राशि इकाई को वापिस नहीं की जायेगी, घोषित अनुपयोगी भूमि को रिक्त भूमि के रूप में घोषित किया जावेगा । तत्पश्चात यह भूमि आबंटन के लिये उपलब्ध होगी, जो अन्य नवीन इकाई को प्रचलित दर पर आबंटित की जावेगी ।

6. हस्तांतरण एवं हस्तांतरण प्रक्रिया
(अ) हस्तांतरण/अंतरण से तात्पर्य :–

1. किसी स्वामित्वक अथवा भागीदारी इकाई में इकाई के नाम अथवा वैद्य संगठन/गठन का परिवर्तन के फलस्वरूप यदि मूल आबंटियों के अंश (शेयर) 51 प्रतिशत से कम हो जाये तो इसे इन नियमों प्रयोजन हेतु हस्तांतरण माना जायेगा ।

यदि किसी भागीदारी इकाई में मूल अंशधारियों में से किन्हीं भागीदारों के बाहर हो जाने के फलस्वरूप यदि किसी मूल भागीदार के अंश 50 प्रतिशत से अधिक हो जाते हैं तो यह हस्तातरण की श्रेणी में नहीं आयेगा ।

किसी भी तरह के गठन परिवर्तन में राशि रू0 10,000.00 पटटाभिलेख संशोधन शुल्क का भुगतान इकाई को करना होगा । दस हजार रूप्ये का हस्तांतरण शुल्क लिया जाकर अनुमति प्रदान की जा सकेगी ।

स्वामित्वक/भागीदारी इकाई के गठन परिवर्तन के मामले में मूल पटटेदार के निकटस्थ संबंधियों पति/पत्नी/माता/पिता/पुत्र/पुत्री /बहू/दामाद एवं पोते/पोती को औद्योगिक भूमि भवन के अंतरण की अनुमति मात्र 10,000.00 रूप्ये का हस्तांरण शुल्क लेकर आबंटी प्राधिकारी व्दारा प्रदान की जावेगी ।

पूर्व मं आबंटित ऐसे भू–खंड जिनके व्दारा विकास की राशि का भुगतान नहीं किया है के हस्तांतरण में वास्तविक विकास की राशि का भुगतान नवीन इकाई को करना होगा ।

(ब) हस्तांतरण की अनुमति निम्न परिस्थितियों/शर्तो के अधीन होगी

1. आबंटी इकाई को भूमि आबंटन के समय प्रस्तुत परियोजना कम से कम 25प्रतिशत स्थायी पूंजी राशि का निवेश होने पर ही भूमि हस्तांतरण की पात्रता होगी ।
2. विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित इकाईयों के भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों में नवीन इकाई को प्रचलित प्रब्याजि का दस प्रतिशत हस्तांतरण शुल्क के रूप में तथा पृथक से वार्षिक संधारण शुल्क एवं भू–भाटक की राशि प्रचलित दरों पर देय होगी ।

2. शासन के वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग/म0प्र0 औद्योगिक केन्द्र विकास निगम मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्टियल डेवलपमेंट कारपोरेशन की मूल आबंटी/पटटेदार से प्राप्त होने वाली समस्त देनदारी मूल पटटेदार अथवा नये पटटेदार अथवा आबंटी व्दारा हस्तांतरण पूर्व एक मुश्त चुकाना होगी । बैंक/ वित्तीय संस्था व्दारा आधिग्रहित इकाई किसी अन्य पटटेदार को हस्तांतरित करने पर हस्तांतरण तभी प्रभावशील होगा, जब बैंक/वित्तीय संस्था अथवा वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग की मूल पटटेदार से प्राप्त होने वाली लेनदारी का भुगतान कर दे तथा नये आबंट के पक्ष में पटटाविलेख निष्पादित करावें ।

(स) हस्तांतरण हेतु प्रक्रिया :

1. यदि मूल पटटेदार निर्मित फैक्टरी भवन, स्थापित मशीनरी का विक्रय करता है तो ऐसे विक्रय हो रही परिसम्पतियों का पूर्ण विवरण अंकित करते हुए एक विक्रय अनुबंध केता एवं विक्रेता केमध्य निष्पादित किया जावेगा एवं इसके साथ हस्तांतरणकर्त्ता हस्तांतरणाधीन भूमि/ शेड के हस्तांतरण की अनुमति हेतु आबंटन अधिकारी को आबंटन प्रस्तुत किया जायेगा । जहां अग्रिम अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सका है , वहां भूमि/शेड के विक्रंय की तिथि से अधिकतम तीन माह के अंदर आवेदन करना आवश्यक है

आवेदन के साथ विभाग की देयताओं का भुगतान करने के साथ ही बैंक, वित्तीय संस्था, अन्य शासकीय विभाग आदि की देनदारियों के बारे में नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह स्पष्ट घोषणा करनी होगी, कि ऐसी किसी देनदारियों का दायित्व हस्तांतरण ग्रहिता/हस्तांतरणकर्त्ता में से किसी को होगा ।

3. अन्तरिति स्थापित की जाने वाले इकाई की परियोजना, उद्यम अभिस्वीकृति पत्र (इंटरप्रिन्योर मेमोरेण्डम) सहित भू–आबंटन का निर्धारित प्रारूप भी अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करेगा तथा आबंटनकर्त्ता/हस्तांतरणकर्त्ता प्राधिकारी व्दारा पटटे पर दी जा भूमि की मात्रा का निर्धारण विभागीय नियमों के अंतर्गत किया जावे । यह स्पष्ट किया जाता है

कि विभाग की देयताओं के भुगतान के बिना हस्तांतरण की अनुमति नहीं होगी ।

3. आबंटन प्राधिकारी भूमि आबंटन हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि जमा कराकर एक माह की समयावधीउ में देय राशियों के भुगतान हेतु मांग पत्र जारी करेगा । देय राशियों को जमाकर हस्तांतरण ग्रहिता संशोधित लीजडीड आबंटन अधिकारी के समक्ष निष्पादन हेतु प्रस्तुत करेगा ।

आबंटन अधिकारी 7 दिवस के अंदर लीजडीड के पंजीयन हेतु सौंपी जायेगी इकाई मूल लीजडीड की प्रति पंजीयन के उपरांत अपने पास रखेगा ।

4. निरस्त भू–खंडो के प्रकरणों में लीजडीड बहाल करते हुए हस्तांतरण की अनुमति अपीलीय अधिकारी व्दारा दी जायेगी ।

7. लीज का नवीनीकरण :–
नियमित उत्पादनरत औद्योगिक इकाईयों को आबंटित भूमि की लीज अवधि की समय सीमा समाप्त होने के पश्चात विकसित भूमि के प्रकरणों में तत्समय प्रचलित प्रीमियम राशि का दो प्रतिशत की राशि जमा कर तथा अविकसित भूमि के प्रकरणों में तत्समय असिचिंत भूमि हेतु निर्धारित कलेक्टर गाईड लाईन की राशि का एक प्रतिशत की राशि जमा कराकर लीज अवधि का नवीनीकरण आबंटी अधिकारी व्दारा किया जा सकेगा । प्रत्येक नवीनीकरण पश्चात प्रभाव शील लीजरेंट का दस गुना लीजरेंट इकाई को भुगतान करना होगा । अर्थात निष्पादित लीज डीड के अनुसार यदि इकाई को सौ रूप्ये प्रतिवर्ष लीजरेंट जमा रही है तो तीस वर्ष पश्चात नवीनीकरण पर इकाई को एक हजार रूप्ये प्रतिवर्ष लीजरेंट जमा करना होगा ।

8. पटटे की भूमि का समर्पण एवं प्रब्याजि की वापसी

(अ) समर्पणः पटटाग्रहिता पटटे पर दी गई भूमि का आंशिक या संम्पूर्ण समर्पण, पटटादाता को तीन कलैंडर माह की सूचना में अपने इस अभिप्राय को लिखित रूप देकर, कर सकता है पटटादाता पटटाग्रहिता व्दारा पटटे की भूमि का पूर्ण उपयोग न करने की स्थिति में अतिशेष भूमि निरस्त कर सकेगें । पटटादाता को निरस्त/समर्पित भूमि/परिसर में पुर्नप्रवेश का अधिकार होगा ऐसे पुर्नप्रवेश पर, निम्न ढंग से पटटादाता पटटाग्रहिता को प्रब्याजि का प्रत्यर्पण कर सकता है, जिसका पटटाग्रहिता को भूमि आबंटित करने/पटटे पर दिये जाते समय पटटाग्रहिता ने भुगतान किया था :–

1. 90 प्रतिशत, यदि आबंटित/पटटे पर दी गई भूमि का समर्पण आधिपत्य प्राप्त करने के दिनांक से, लघु उद्योग के प्रकरण में दो वर्ष के भीतर, और वृहद एवं मध्यम उद्योग के प्रकरण में तीन वर्ष के भीतर होगा ।
2. 80 प्रतिशत, यदि आबंटित/पटटे पर दी गई भूमि का समर्पण लघु उद्योग के प्रकरण में दो वर्ष के बाद किंतु तीन वर्ष के भीतर और वृहद एवं मध्यम उद्योग के प्रकरण में तीन वर्ष के बाद किंतु चार वर्ष के भीतर होता है ।
3. 70 प्रतिशत, यदि आबंटित/पटटे पर दी गई भूमि का समर्पण लघु उद्योग के प्रकरण में तीन वर्ष बाद किंतु चार वर्ष के भीतर और वृहद एवं मध्यम उद्योग के प्रकरण में चार वर्ष के बाद किंतु पांच वर्ष के भीतर हेागा ।
4. 50 प्रतिशत, यदि आबंटित!/पटटे पर दी गई भूमि का समर्पण लघु उद्योग के प्रकरण में चार वर्ष की समयावधि के उपरांत परंतु छै वर्ष के पूर्व तथा वृहद एवं मध्यम उद्योग के प्रकरण में पांच वर्ष के उपरांत परंतु सात वर्ष के पूर्व होता है ।

आबंटन निरस्तीकरण /पटटाभिलेख निरस्तीकरण की दशा में निरस्तीकरण दिनांक से 3 माह की समयावधि में आबंटित भूमि/भवन का आधिपत्य सौपने उपरोक्त प्रावधान (1) से (4) के अनुसार राशि वापसी की जायेगी । आधिपत्य न सौपने पर कोई राशि वापसी होगी । अपील प्रकरणों में यह अवधि अपीलीय अधिकारी व्दारा जारी आदेश दिनांकसे 3 माह तक मान्य रहेगी । उपरोक्त समयावधि मे पटटा ग्रहिता लीज पर आबंटित भूमि पर निर्मित भवन एंव स्थापित मशीनरी आदि को विकय कर यदि पटटाग्रहिता इसी अवधि में भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा । सक्षम प्राधिकारी के व्दारा गुण दोष के आधार पर हस्तांतरण की अनुमति प्रदान किया जावेगा ।

पटटे का निरस्तीकरण

पटटादाता व्दारा पटटाग्रहिता /उसके अंतरिती/उसके अभिहस्तांकिती को प्रदत्त पटटाधिकारों को प्रदत्त पटटाधिकारों/पटटाभिलेख का किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर किया जा सकेगा

पटटाभिलेंखों की शर्तो का उल्लघंन पटटाग्रहिता/उसके अंतरिती अथ्वा अभिहस्तांकिती व्दारा करने की स्थिति में पटटादाता व्दारा पंजीकृत डाक से अभिस्वीकृति/पावती सहित सूचना पत्र जारी कर पटटाग्रहिता को निर्देशित किया जावेगा कि उल्लघंन को समाप्त /निराकरण सूचना पत्र जारी होने के दिनांक से 60 दिवस की समयाविध में करें अन्यथा आबंटन प्राधिकारी /पटटादाता व्दारा पटटे का निरस्तीकरण किया जा सकेगा । यह नियम पटटाग्रहिता के विरूद्य

प्राधिकार या सुधार लागू करने की राज्य शासन की शक्तियों को सीमित नहीं कर सकेगा ।

आबंटन प्राधिकारी/पटटादाता के व्दारा प्रथम नोटिस जारी करने की दिनांक से एक वर्ष के

अंदर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा । प्रकरण के अंतिम आदेश एक Speaking order के

रूप में जारी होगी ।

उपरोक्त प्रकिया अनुसार जारी किये जाने वाले सूचना पत्र/निरस्तीकरण आदेश अथवा अन्य आवश्यक पत्राचार आबंटी व्दारा आबंटन प्राप्त करते समय प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेखित

पतों पर पंजीकृत डाक पावती सहित व्दारा भेजा जावेगा । यदि आबंटी व्दारा लिखित में पता

परिवर्तन इस कार्यवाही के पूर्व सूचित किया गया है तो परिवर्तित पता मान्य किया जा सकेगा ।

सूचना पत्र एवं निरस्तीकरण आदेशों की प्रति पटटेदार की ज्ञात वित्तीय संस्थाओं को भी

पृष्ठाकिंत की जावेगी तथा सूचना पत्र एवं निरस्तीकरण आदेश की प्रति आबंटित परिसर पर भी

चस्पा की जायेगी जिसे इकाई को सूचना प्राप्त माना जायेगा ।

निरस्तीकरण आदेश में अपील प्रावधान, अपीलीय अधिकारी का पदनाम एवं कार्यालय का

पता, अपील शुल्क किस देय होगा तथा अपील हेतु निर्धारित अवधि का उल्लेख किया जायेगा

तथा यह सूचित किया जायेगा कि अपील की प्रति निरस्तीकरण अधिकारी को भी प्रस्तुत की जाये

अपील एवं पुनर्विलोकन :–

1. इन नियमों के अंतर्गत आबंटन अधिकारी व्दारा पारित/जारी मूल आदेश से असंतुष्ट पटटेदार/पक्षकार व्दारा ऐसा आदेश पारित होने से 30 दिवस की अवधि में कंडिका 41(ii) में वर्णित क्षेत्राधिकार अनुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील निम्न अपील शुल्क सहित प्रस्तुत की जा सकेगी :– लघु उद्योगों हेतु राशि रू0 2,000.00, मध्यम उद्योगो हेतु राशि रू0 5,000.00 एवं

वृहद उद्योगो हेतु राशि रू0 10,000.00 । अपील शुल्क अपीलीय अधिकारी को देय होगा, जो वापसी योग्य नहीं होगा ।

2. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंन्द्र व्दारा पारित निरस्तीकरण आदेश के विरूद्य संयुक्त संचालक, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी होगा तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के पारित निर्णय के विरूद्य पुनरीक्षण की अधिकारिता उद्योग आयुक्त

को होगी ।

3. अपील/पुनरीक्षण की प्रकिय्रा :– अपीलीय अधिकारी व्दारा अपील प्राप्त होने के 15दिवस के अंदर सुनवाई हेतु तिथी नियत कर अपीलकर्त्ता इकाई को सूचित किया जावेगा तथा

60दिवस के अंदर अधिकतम 3माह का सुनवाई अवसर देकर अपील का निराकरण किया जावेगा । अपील पुनरीक्षण में मूल आदेश को यथावत रखा जा सकता है अथवा निरस्त किया जा सकता है अथवा मूल आदेश में आंशिक संशोधन भी किया जा सकता है ।

पटटाभिलेख के निरस्तीकरण पर भूमि, भवन/शेड का कब्जा प्राप्त करना :– यदि पटटेदार व्दारा आबंटित भूमि/शेड में अपनी कोई परिसंपत्तियां निर्मित नहीं की है हो तो पटटाभिलेख निरस्तीकरण उपरांत (लंबित अपील/न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त मामलो को छोडकर) संबंधित भूमि/भवन का आधिपत्य आंबंटन प्राधिकारी व्दारा प्राप्त कर लिया जावेगा ।

आबंटन प्राधिकारी या उनके प्रतिनिधि आधिपत्य प्राप्त करने के पूर्व निरस्त पटटा के पटटाग्रहिता को पटटाभिलेख निरस्तीकरण आदेश का विवरण देते हुए, निश्चित तिथी व समय अंकित कर निरस्त पटटा अंतर्गत भूमि एवं शेड का आधिपत्य वापिस सौंपने हेतु पंजीकृत डाक से उद्योग के कार्यस्थल, कार्यालय तथा निवास के ज्ञात पते पर पत्र जारी करते हुए निर्देशित करेगा किया जावेगा । निश्चित तिथी व समय पर निरस्त पटटा के पटटाग्रहिता के उपस्थित न होने पर पुनः पंजीकृत पत्र से एक निश्चित तिथी व समय निर्धारित करते हुए आधिपत्य वापिस सौंपने हेतु निर्देशित किया जावेगा जिसमें यह भी उल्लेख हो कि निरस्त पटटा के पटटाग्रहिता के उपस्थित न होने पर एक तरफा आधिपत्य पंचनामा के आधार पर प्राप्त किया जायेगा । निरस्त पटटाग्रहिता के नियत तिथी व समय पर उपस्थित न होने पर आधिपत्य प्राप्त कर्त्ता व्दारा रिक्त भूमि का पंचनामा में अन्य पंच/गवाहें के पूर्ण नाम, पद एवं पता अंकित कर हस्ताक्षर प्राप्त किये जावेगें । आधिपत्य के उपरांत इसकी सूचना प्रभावित पक्ष को पंजीकृत डाक से भेजी जावेगी । अपील में पटटा निरस्तीकरण का निर्णय यथावत निरंतर रखा जाने की स्थिति में आबंटन प्राधिकारी व्दारा उपरोक्त प्रकिया अनुसार तत्काल अनिवार्यतः आधिपत्य प्राप्त किया जावेगा ।

परंतु पटटाभिलेख निरस्तीकरण के 3 माह के अंदर पटटाग्रहिता लीज पर आबंटित भूमि पर निर्मित भवन एवं स्थापित मशीनरी आदि को विक्रय कर भूमि हस्तांतरण हेतु सक्षम प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा । आंबटन प्राधिकारी को गुण दोष के आधार पर 3 माह के अंदर हस्तांतरण संबंधी निर्णय लेना अनिवार्य होगा ।

इकाई पर बकाया देय विभागीय राशियों की वसूली हेतु महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत भू–राजस्व की वसूली प्रक्रियानुसार कर सकेगा

किसी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र होगा ।

स्पष्टीकरण एवं व्याख्याय के अधिकार

नियमों में अस्पष्टता, विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में राज्य शासन व्याख्या के लिये अधिकृत होगा तथा उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

राज्य शासन के अधिक

राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में किसी उद्योग अथवा उद्योगों के वर्गो को आबंटन करने /आबटन पात्रता से वंचित करने, संशोधन करने अथवा परिवर्तन करने के अधिकार राजय शासन सुरक्षित रखता

अति प्रदूषणकारी एवं खतरनाक श्रेणी के उद्योग

1. अकार्बकनिक रसायन उद्योग
खनिज अम्ल, क्षार निर्माण उद्योग, 2 अम्ल प्रतिक्रिया खनिज लवण, कार्बनडाय सल्फाईड, अल्ट्रा मेरिन ब्लू क्लोरिन, हाईड्रोजन, अमोनिया गैस एवं ब्लीचिंग पावर निर्माण

2. कार्बनिक रसायन उद्योग–
डाई व डाई स्टफ इंटरमिडिएट निर्माण, सिंथेटिंक, प्लास्टिक जैसे पोलिथिन, पी व्ही सी रेजिन, नायलोन, सिंथेटिंक रबर, सिंथेटिक डिटरजेंट । कीट नाशक, फफूंद नाशक एवं खरपतवार नाशक । कोलतार डिस्टीलेशन प्रकिया से निर्मित होने वाले उत्पाद । आर्गनिक साल्वेटस, क्लोरिनेटेड मिनरस्ल मिथेनाल, एल्डी हाइड, पायरिडिन, आयडोफार्म, बिटा नेप्थाल एवं मिथेलेटेड स्प्रिट । कम्प्रेस्ड एवं लिक्वाफाइड गैसेसे ।

3. पेट्रोलियम उत्पाद –

कच्चे तेल की रिफायनिंग, प्रोसेसिंग एंव केकिंग, पेट्रोलियम जैली, पेट्रोलियम ईथर , नेफथा

केकिंग, कार्बन ब्लेक व अन्य निर्माण, पेट्रोलियम कोक, लुब्रिकेटिंग एवं फयूल आईल्स, ईल्यूमिनेटिंग आईल्स आदि

4. धातु कर्म उद्योग –

उद्योग जिनमें सिलटरिग, स्मेलटिंग, ब्लास्ट फर्नेस, रिकास्टिंग आफ ओर सल्फाईड, आक्साइड या मिश्रण जैसे कार्य किये जाये

5. रेडियोएक्टिव तत्व निर्माण ।
6. पेपर, पेपर पल्प, बोर्ड निर्माण, न्यूज प्रिंट निर्माण ।
7. अल्कोहल डिस्टलरीज
8. शक्कर कारखाना
9. जहरीले पदार्थ जैसे साईनाइडस, आर्सेनिक यौगिक,बेरियम यौगिक पायरोगेलिक, एसिड

10. इलेक्ट्रो थर्मल इंड0 जैसे केलशियम कार्बाइड, फास्फोरस, एल्यूमिनियम डस्ट, पेस्ट, कापर जिंक एलाय आदि ।

11. थर्मल पावर इंड0

12 शासन व्दारा समय समय पर घोषित अन्य प्रकार के उद्यो

औद्योगिक क्षेत्रों में आबंटन हेतु प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची

1. गौवंश मांस से संबंधित कोई भी गतिविधी ।
2. पशुवध (कसाईखाना)
3. शहरी अपशिष्ट/मृत पशु एवं अपशिष्ट एकत्रीकरण एंव सग्रहणं ।
4. काबडियो व्दारा कांच, पोलिथिन, प्लास्टिक, पी व्ही सी, नायलोन, रबर, लोहा, लकडी जैसे वस्तुओं का संग्रहण एंव ग्रेडिंग ।
5. रेत संग्रहण एंव ग्रेडिंग
6. ईट भटटा एवं चूना भटटा ।
7. खुली सेंड ब्लास्टिंग ।
8. आटो मोबाईल स्टाक यार्ड ।
9. शहरी एवं मृत पशु अपशिष्टों का प्रसंस्करण एवं उससे खाद बनाना आदि ।
10. विस्फोटक एंव फायर वर्क्स निर्माण व संग्रहण ।
11. चारकोल निर्माण ।
12. स्टोन केसर ।
13. शासन व्दारा समय समय पर घोषित अन्य गतिविधियां ।

अर्द्यशहरीय औद्योगिक संस्थान दमोह में आबंटित भू–खंडों शेड कीजानकारी

क्रं0	इकाई का नाम	उत्पाद	भूमि की मात्रा
1.	मे0 घासीराम गणेश प्रसाद गुप्ता कोल्ड आईस फैक्टरी एव स्टील फर्नीचर इंड0 दमोह	कोल्ड, फर्नीचर इंड0	22062 वर्गफुट
2	मे0 अंजता प्रिंटर्स दमोह	मल्टीकलर प्रिटिंग	16900 वर्गफुट
3	मे0 जैनसन इंटरप्राइजेस	कार्ड बोर्ड बाक्सेंज	30000 वर्गफुट
4	मे0 अग्रवाल दाल मिल दमोह	दाल निर्माण	12600 वर्गफुट
5	मे0 पुजारी दाल मिल दमोह	दाल निर्माण	5250 वर्गफुट
6	मे0 महावीर आयल मिल दमोह	आयल निर्माण	8750 वर्गफुट
7	मे0 अग्रवाल एजेन्सीज दमोह	स्टील फर्नीचर	5040 वर्गफुट
8	मे0 वर्धमान दाल मिल दमोह	दाल निर्माण	8450 वर्गफुट
9	मे0 जोगिन्दर एग्रीकल्चरल दमोह	कृषि उपकरण	10010 वर्गफुट
10	मे0 ज्योति महिला गृह उद्योग दमोह	बडी पापड निर्माण	425 वर्गफुट
11	मे0 श्री राम डिलर्स दमोह	वर्कशाप	11900 वर्गफुट
12	मे0 ताज गैरिज दमोह	व्हीकल रिपेरिंग	8000 वर्गफुट
13	मे0 प्रशांत पोलि प्रोडक्ट दमोह	पोलिथिन बैग एवं शीट	1170 वर्गफुट
14	मे0 पूरन इंड 0 दमोह	दाल निर्माण	2400 वर्गफुट
15	मे0 शिव शकंर आयल मिल दमोह	तेल निर्माण	8970 वर्गफुट
16	मे0 अग्रवाल पल्स एंड बेसन इंड0 दमोह	दाल, बेसन निर्माण	14300 वर्गफुट
17	मे0 जैन दाल मिल दमोह	दाल निर्माण	3480 वर्गफुट
18	मे0 शुभम दाल मिल दमोह	दाल निर्माण	9940 वर्गफुट
19	मे0 अमन स्टील इंड0 दमोह	स्टील फनीचर	2400 वर्गफुट
20	मे0 लकी स्टील इंड0 दमोह	स्टील फर्नीचर	1655 वर्गफुट
21	मे0 बलराम इंड0 दमोह	इनगाड	2400 वर्गफुट
22	मे0 पंजाब कृषि उद्योग दमोह	कृषि उपकरण	6360 वर्गफुट
23	मे0 अनिल प्लास्टिक इंड0 दमोह	पोलिथिन बैग एवं शीट	7907 वर्गफुट
24	मे0 शारदा प्रिंटिग प्रेस दमोह	प्रिटिंग प्रेस	800 वर्गफुट

अर्द्यशहरीय औद्योगिक संस्थान दमोह में आबंटित शेडों की जानकारी

क्रं0	इकाई का नाम	उत्पाद	शेड कमांक
1.	मे0 कुंदन मेटल इड0 दमोह	स्टील फर्नीचर	01
2	मे0 प्रशांत प्लास्टिक दमोह	पोलिथिन बैग एवं शीटस	2/1 एवं 2/2
3	मे0 दमोह पेपर इंड0 दमोह	अभ्यास पुस्तिका	2/3
4	मे0 पंजाब कृषि उद्योग दमोह	कृषि उपकरण	3/1 व 3/2
5	मे0 अग्रवाल दाल मिल दमोह	दाल निर्माण	3/3

6	मे0 अंजता प्रिंटर्स दमोह	मल्टीकलर प्रिंटिंग	,4, एवं 5/2
7	मे0 शारदा प्रिंटस दमोह	प्रिंटिंग प्रेस	5/1
8	मे0 मीना इंजीनियरिंग	इंजी0 वर्क	5/3

गांधी आश्रम प्रांगण दमोह में आबंटित भू–खंडों की जानकारी

क्र0	इकाई का नाम	उत्पाद	भूमि की मात्रा
1.	मे0 गांधी आश्रम दमोह	तेलघानी	27600 वर्गफुट
2	मे0 अन्नपूर्णा पल्सेस दमोह	दाल निर्माण	6000 वर्गफुट
3	मे0 मनोज दाल मिल	दाल निर्माण	6000 वर्गफुट
4	मे0 जैन प्लास्टिक इड0 दमोह	पीवीसी शू	3800 वर्गँफुट
5	मे0 शरद चाक फेब्रीकेशन दमाह	चाक निर्माण, फेब्रीशन	1650 वर्गफुट
6	मे0 मनीष कंडी कोल दमोह	कंडी कोल	3000वर्गफुट
7	मे0 आदर्श स्टील इंड0 दमोह	स्टील फर्नीचर	1650 वर्गफुट
8	मे0 न्यू शिवशक्ति आयरन इंड0 दमोह	लुहारी वर्कशाप	2400 वर्गफुट
9	मे0 महावीर दाल उद्योग दमोह	दाल निर्माण	4950 वर्गफुट
10	मे0 विन्द्रावन आयल मिल दमोह	तेल निर्माण, फर्नीचर नि.	3300 वर्गफुट
11	मे0 मनोज ट्रेडिंग दमोह	फिलोर मिल	5400 वर्गफुट

औद्योगिक क्षेत्र मारूताल में आबंटित भू–खंडों की जानकारी

क्र0	उद्यमी का नाम एवं पता	उत्पाद का नाम	आबंटित भू–खंड की मात्रा
1.	श्रीमति रीना विश्वकर्मा, प्यासी मंदिर के पास दमोह	कृषि उपकरण	भूमि की मात्रा (वर्गमीटर)
2	श्रीमति उपमा अरोरा, एमपीएचबी कालोनी दमोह	पोलिथिन बैग	25X50
3	श्री पवन अरोरा, पुरानी हाउसिंगबोर्ड कालोनी दमोह	लेमीनेटिड पाउच	18.58X36
4	श्री अबरार खान, पुराना बाजार 2 दमोह	पेवर टायल्स	17.5X50
5	श्री गोपेन्द्र कुम्हार, श्रीवास्तव कालोनी दमोह	प्लास्टिक ग्रेन	18.58X50
6	श्री सतीश विश्वकर्मा, किल्लाई नाका दमोह	स्टील फर्नीचर	930
7	श्रीमति संध्या राज, नया बाजार 3 दमोह	स्टील फेब्रीकेशन	36X50
8	आयुष इंड0, प्राईवेट बस स्टेंड के पास दमोह	स्टील फेब्रीकेशन	500
9	भाव्या इंड0, एसबीआई कालोनी चेरीताल जबलपुर	स्टील फेब्रीकेशन	20X50
10	श्री सरबर खान, मछरयाकुआ के पास दमोह	कृषि उपकरण	20X50
11	श्री राहुल विश्वकर्मा, बस स्टेंड के पास दमोह	स्टील फेब्रीकेशन	20X50
12	श्री जुगल किशोर विश्वकर्मा, जबलपुर नाका दमोह	प्लास्टिक शीट	20X50
13	श्री हरिनारायण सोनी, टंडन बगीचा दमोह	डिस्पोजल प्लांट	50X19.6
14	श्रीमति ज्योति खटीक, खटीक धर्मशाला के पास दमोह	डिस्पोजल पीपी आयटम	1254.15
15	कु0 शिखा खत्री, ग्राम हिरदेपुर दमोह	स्टील फेब्रीकेशन	50X23.6
16	स्वामी आशीष तिवारी, फुटेरा वार्ड 3 दमोह	पेवर प्रोडक्ट	20X50
17	श्रीमति प्रीति खत्री, गार्ड लाईन दमोह	फ्लेक्स ब्रिक्स	20X50
18	श्री विजय कोटवानी, सिंधी केंप दमोह	मसाला उद्योग	20X50
19	श्री कपिल कोटवानी, सिविलवार्ड 9 दमोह	स्टील फेब्रीकेशन	1180
20	श्री मनोज कोटवानी, सिविल वार्ड 9 दमोह	डिस्पोजल आयटम	20X50
21	श्री नरेन्द्रसिंह छावडा इंद्रमोहन नगर दमोह	स्टील फ्रेबीकेशन	20X50
22	श्री अंकित अग्रवाल भारहुत नगर सतना	राईस मिलिंग	1250
23	श्री अंकुर राय राय चौराहा दमोह	राईस मिलिंग	1250
24	श्री अंकित अग्रवाल भारहुत नगर सतना	एग्रो विकेट्स	1250
25	श्री अंकित अग्रवाल भारहुत नगर सतना	राईस मिलिंग	1250

26	श्री अंकित अग्रवाल भारहुत नगर सतना	राईस मिलिंग	1250
28	श्रीमति अनिता साहू डा0 वर्मा के पास दमोह	स्टील इंड0	1500
29	दीनदयाल विश्वकर्मा मुकेश कालोनी दमोह	मसाला उद्योग	1250
30	श्री आकाश राय नया बाजार 1 दमोह	मिल्क प्रोडक्टस	1500
31	श्री किशन लाल खत्री, ग्राम हिरदेपुर	स्टील अलमारी, कूलर	1125
32	श्री संदीप दलाल गायत्री मंदिर के पास दमोह	पार्टिकल फर्नीचर	1125
33	श्रीमति संगीता खत्री गार्ड लाईन दमोह	मार्बल एंड स्टोन	1125
34	श्रीमति नम्रता खत्री गार्ड लाईन दमोह	फलेक्स ब्रिक्स	1125
35	श्री देवेन्द्र प्रसाद बोहरे ग्राम चौपरा खुर्द	फलेक्स ब्रिक्स,रूफ टायल्स पेविंग ब्लाक	1250
36	श्री देवेन्द्र प्रसाद बोहरे ग्राम चौपरा खुर्द	फलेक्स ब्रिक्स,रूफ टायल्स पेविंग ब्लाक	1250
37	श्री रूपम गोदरे, असाटी वार्ड 1 दमोह	फलोर मिलिंग	1250
38	श्री शुभम अग्रवाल टंडन बगीचा दमोह	पापड नमकीन	1250
39	श्री अभिषेक कुमार जैन असाटी वार्ड 2 दमोह	पापड निर्माण	1250
40	श्री आशीष कुमार बोहरे चौपरा खुर्द	ह्यूम पाईप, सीमेंट पाईप	1250
41	श्री संदीप कुमार चौरसिया, असाटी वार्ड 2 दमोह	प्लास्टिक ग्रेन्यूअल्स	1250
42	श्री राजेश दुबे असाटी वार्ड 2 दमोह	आर सी सी पोल, ह्यम पाईप,मार्बल ब्लाक कटिंग	1100
43	श्री राजेश दुबे असाटी वार्ड 2 दमोह	आर सी सी पोल, ह्यम पाईप,मार्बल ब्लाक कटिंग	1100
44	श्री राजेश दुबे असाटी वार्ड 2 दमोह	आर सी सी पोल, ह्यम पाईप,मार्बल ब्लाक कटिंग	770
45	श्री राजेश दुबे असाटी वार्ड 2 दमोह	आर सी सी पोल, ह्यम पाईप,मार्बल ब्लाक कटिंग	770
46	श्री अक्षय पांडे, एस पी एम नगर दमोह	नोटबुक	770
47	श्री सुनील राय फुटेरावार्ड 1 दमोह	दाल निर्माण	1100
48	श्री राजीव राय पुराना बाजार 2 दमोह	राईस मिल	1100
49	श्री कपिल राय फुटेरावार्ड 1 दमोह	एक्वा मिनरल	1100
50	श्री पुरूषोत्तम राय नया बाजार 1 दमोह	पापड आलू, चिप्स निर्माण	1100
51	श्री चंद्रशेखर विश्वकर्मा सिविल वार्ड6 दमोह	सीमेंट के फ्रेंम, दरवाजे	1125
52	श्रीमति बबिता श्रीवास्तव विवेकानंद नगर दमोह	पेवर ब्लाक	1125
53	श्री मुकेश कुमार जैन ग्राम कुडई तह0 पटेरा	पापड निर्माण	770
54	श्रीमति साधना दुबे सिविलवार्ड7 दमोह	पापड निर्माण	770

कचौरा शापिंग सेन्टर दमोह शॉप–कम रेसीडेन्स

क्रमांक	आबंटी का नाम	शाप क्रमांक	व्यवसाय
1.	श्री अहद खां	01	स्टील फर्नीचर एवं मोगबाईल सेंटर
2.	श्री मो0 नकीब उल्लाह	02	फॉटोकापी,स्टूडियो एवं जनरल स्टोर
3	श्री के0के0खत्री	03	स्पेयर पार्टस
4	श्री दिनेश ठाकुर	04	रेडियो रिपेरिंग एवं इले0,इला0 सामग्री
5	श्रीमति मीना (मीनू) खत्री	05	स्टील फर्नीचर
6	कु0 रबजौर कौर	06	जूता चप्पल विक्रय
7	श्री के0एल0 अग्रवाल	07	स्टील फर्नीचर
8	श्रीमति सरिता जैन	08	हार्डवेयर एवं मशीनरी

अध्याय –17(मैनुअल 16)

सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिको को उपलब्ध सुविधाओ का विवरण

17.1 सूचनाओ को जनता तक पहुंचाने के लिए विभाग ।

1. पुस्तकालय द्वारा– कार्यालय में लाईब्रेरी की व्यवस्था है। जिसमें विभाग से संबंधित बुके प्रोजेक्ट फाईले पंपलेट आदि के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

2 . अखवारो के द्वारा– समय–समय पर अखवारो में विभाग से संबंधित गतिविधिया एवं योजना की जानकारी दी जाती है।

3.. प्रदर्शिनी के माध्यम से– गणतंत्र दिवस एवं अन्य विशेष अवसरो पर झाकी/प्रदर्शिनी के माध्यम से विभाग की योजनाओ की जानकारी दी जाती है।

4. सूचना पटल – कार्यालय में सूचना पटल पर जानकारी चस्पा करके आम जनता तक पहुचाने की व्यवस्था की गई है।

5. अभिलेखो का निरिक्षण – कार्यालय में अभिलेखो की निरक्षण करने की व्यवस्था है।

6. उपलब्ध विभागीय मेनुअल – कार्यालय में विभाग से संबंधित मेनुअल है। जिसे पड़ने एवं जानकारी नोट करने की व्यवस्था है।

7. शिविर आयोजित करके – समय–समय पर जन जागृति शिविर जन समस्या निवारण शिविर में विभाग का प्रचार प्रसार करते हुए योजनाओ की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

वैवसाइट देखें :–mpmsmegov.in

महाप्रबंधक

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दमोह